



कानपुर नगर निगम

मा० कार्यकारिणी समिति की बैठक जो दिनांक 12-01-2015
को सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त

सायं 04.00 बजे

स्थान: नगर निगम समिति कक्ष, मोतीझील, कानपुर



कार्यालय सचिव नगर निगम,
नगर निगम, कानपुर

पत्र संख्या: डी/225/सचिव (न.नि.)/14-15
सेवामें

दिनांक : 02-02-15

मा0 श्री/श्रीमती/.....

पार्षद वार्ड सं0...../सदस्य कार्यकारिणी

महोदय/महोदया,


नगर निगम कार्यकारिणी समिति की दिनांक 12.01.2015 दिन सोमवार को सम्पन्न हुई बैठक, का कार्यवृत्त आपकी सेवा में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक : कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 01 से 56 तक।

प्रतिलिपि:

1. नगर आयुक्त महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त (प्रथम/द्वितीय) महोदय को सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/विभागाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(राम बली पाल)
सचिव
नगर निगम, कानपुर


सचिव

नगर निगम, कानपुर

दिनांक-12.01.2015 दिन सोमवार को अपरान्ह 04:00 बजे नगर निगम मुख्यालय स्थित समिति कक्ष में कार्यकारिणी समिति की सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त :-

उपस्थिति

1.	श्री जगतवीर सिंह द्रोण महापौर/सभापति	
2.	श्री कमलेश	पार्षद/सदस्य
3.	श्री आलोक दुबे	पार्षद/सदस्य
4.	श्री राकेश साहू	पार्षद/सदस्य
5.	श्री मदन लाल	पार्षद/सदस्य
6.	श्री कैलाश नाथ पाण्डेय	पार्षद/सदस्य
7.	श्री आदर्श दीक्षित	पार्षद/सदस्य
8.	श्री आशुतोष त्रिपाठी	पार्षद/सदस्य
9.	श्री धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी	पार्षद/सदस्य
10.	श्री नवीन पण्डित	पार्षद/सदस्य
11.	श्रीमती पूनम द्विवेदी	पार्षद/सदस्य
12.	श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला	पार्षद/सदस्य

13.	श्री हाजी सुहैल अहमद	पार्षद/सदस्य
-----	----------------------	--------------

अधिकारीगण

1.	श्री उमेश प्रताप सिंह	नगर आयुक्त
2.	श्री विनोद कुमार गुप्ता	उप नगर आयुक्त
3.	श्री राकेश कुमार गुप्ता	उप नगर आयुक्त
4.	श्री अजय प्रताप सिंह	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
5.	श्री तरुण कुमार शर्मा	मुख्य अभियंता "सिविल"
7.	श्री राकेश मोहन अस्थाना	मुख्य अभियंता "वि०/यॉ०"
8.	श्री धीरज सिंह	अधिकाधी अभियन्ता, जलकल
9.	श्री ए. के. शुक्ला	वित्त अधिकारी, जलकल
10.	डा० ए. के. सिंह	पशु चिकित्साधिकारी

अपरान्ह 04:00 बजे बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

सभापति ने कार्यकारिणी समिति के नवनिर्वाचित सभी सदस्यों का हृदय से स्वागत करते हुये कहा कि आपके विवेक एवं अनुभव से कार्यकारिणी समिति को सहयोग मिलेगा, जिससे समिति के निर्णयार्थ प्रस्तुत महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार किया जा सकेगा। सदन द्वारा नवनिर्वाचित सदस्यों की आहूत बैठक के पश्चात् सर्वप्रथम कार्यकारिणी समिति की बुलाई गई बैठक में नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 52 में प्राविधानित उप विधियों के तहत उप सभापति का निर्वाचन सुनिश्चित है। तदनुसार उप सभापति का मनोनयन/निर्वाचन किया जाना है।

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि वरिष्ठता के दृष्टिगत श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला, जो लगातार अपने वार्ड से निर्वाचित होकर नगर निगम आ रहे हैं, इनका नाम उप सभापति हेतु प्रस्तावित करता हूँ।

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि लोकसभा एवं राज्य सभा में उप सभापति का पद विपक्ष को दिया जाता है, उसी क्रम में मेरा अनुरोध है कि मो० हाजी सुहैल अहमद, जो कि एक सुलझे हुये व्यक्ति है, मैं इनका नाम उप सभापति के पद के लिये प्रस्तावित करता हूँ।

श्री आदर्श दीक्षित ने नवीन पण्डित की बात का समर्थन करते हुये कहा कि मैं भी मो० हाजी सुहैल अहमद को उपसभापति बनाये जाने की सहमति प्रदान करता हूँ।

सभापति ने कहा कि जिस प्रकार लोकसभा एवं राज्यसभा में मंत्री परिषद गठित होता है, उसी प्रकार सदन द्वारा नवनिर्वाचित कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के समूह से कार्यकारिणी समिति नगर निगम की मंत्री परिषद है। मंत्री परिषद की बैठक को छोड़कर सदस्य वॉकआउट नहीं करते हैं।

श्रीमती पूनम द्विवेदी ने कहा कि चूँकि दो नाम प्रस्तावित किये जा रहे हैं, अतः लाटरी डालकर उप सभापति का चुनाव कर लिया जाये। इस सुझाव से सदस्यों में आपसी वार्तालाभ/विवाद होने लगा।

सभापति ने अपरान्ह 04:15 बजे आपसी सहमति बनाये जाने हेतु कार्यकारिणी समिति की बैठक 15 मिनट के लिये स्थगित की।

स्थगन अवधि पश्चात् अपरान्ह 04:30 बजे बैठक की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।

सभापति ने सभी सदस्यों को आश्वस्त किया कि आपकी भावनाओं के दृष्टिगत आपसी सहमति के आधार पर ही बैठक के पश्चात् उप सभापति का नाम घोषित किया जायेगा। चूँकि नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2014-15 के पुनरीक्षित बजट पर विचार किया जाना आवश्यक है। अतः पहले कार्यसूची के बिन्दुओं पर विचार-विमर्श कर लिया जाये। तदनुक्रम में नगर आयुक्त को पुनरीक्षित बजट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

नगर आयुक्त के निर्देशों के क्रम में नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 147 के अन्तर्गत मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के पुनरीक्षित बजट की प्रतियाँ सभी सदस्यों एवं अधिकारियों को वितरित की गई।

प्रस्ताव संख्या-675

नगर निगम, कानपुर आय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक आय 2013-14 तक	प्रस्तावित धनराशि 2014-15	वास्तविक आय अगस्त 2014 तक	पुनरीक्षित 2014-15
	Revenue Income		राजस्व आय					
1101	Tax Revenue	1101	करो से आय	3	7841.22	1101.80	1778.59	11101.50
1201	Assigned Revenues & Compensations	1201	कर्तव्यों के अधीन आय	3	2.26	25.00	0.76	5.00
1301	Rental Income from Properties	1301	नगरीय सम्पत्तियों के किराये से आय	3	104.81	104.50	57.62	120.50
1401	Fees & User Charges	1401	शुल्कों से आय	5	766.30	2472.50	481.15	1510.50
1501	Sale & Hire Charges	1501	बिक्री एवं भाड़े से आय	5	89.76	198.00	77.81	165.00
1701	Income from Investments	1701	विनियोगों से आय	5	0.00	51.00	0.00	51.00
1801	Income from Interest	1801	व्याज से आय	6	1679.12	1806.00	83.32	2107.00
1901	Other Income	1901	अन्य आय	6	59.62	62.00	24.12	77.10
	TOTAL -A-		योग (अ) नगर निगम निधि	6	10543.09	15820.80	2503.37	15137.60
1601	Revenue Grants & Contribution	1601	राजस्व अनुदान एवं अंशदान	6	36249.57	38665.00	36611.76	42753.00

	TOTAL-(A + Revenue Grants & Contribution)		योग (अ + राजस्व अनुदान एवं अंशदान)	6	46792.66	54485.80	39115.13	57890.60
	Capital Income		पूँजीगत आय					
3111	Earmarked Funds	3111	कार्य विशेष निधियाँ					
	JNNURM Scheme		जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना	7	15115.46	4271.00	2312.74	24822.10
	Finance Commission Thirteenth		वित्त आयोग : तेरहवाँ	7	9827.00	7150.00	0.00	7300.00
	Special Fund: Infrastructure Fund:		अवस्थापना निधि	8	2866.35	3450.00	9347.85	11650.00
	Other Earmarked Fund		अन्य कार्य विशेष निधियाँ	8	498.57	795.00	0.00	765.00
3301	Secured Loans	3301	सुरक्षित ऋण	8	0.00	4.00	0.00	4.00
3311	Unsecured Loans	3311	असुरक्षित ऋण	9	6899.94	2906.00	2312.75	9109.97
	TOTAL-B-		योग (ब)	9	35207.32	18576.00	13973.34	53651.07
	Reserve Fund (JNNURM)		रिजर्व फण्ड (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)					
3121	Reserve against Work in Progress	3121	निर्माणाधीन कार्य के सापेक्ष संचय	8	9000.37	61399.44	0.00	61399.44
	TOTAL-C-		योग (स)	8	9000.37	61399.44	0.00	61399.44
	TOTAL REVENUE, Capital & Reserve Fund Income (A+B+C)		कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड आय (अ+ब+स)	9	91000.35	134461.24	53088.47	172941.11
4502	Opening Balance	4502	प्रारम्भिक अवशेष:-	9	15969.93	14855.93	32907.57	14855.93
	Grand Total		महायोग	9	106970.28	149317.17	85996.04	187797.04

नगर निगम, कानपुर
व्यय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक व्यय 2013-14 तक	प्रस्तावित धनराशि 2014-15	वास्तविक व्यय अगस्त 2014 तक	पुनरीकित 2014-15
	Revenue Expenses		राजस्व आय					
2101	Establishment Expenses	2101	अधिष्ठान व्यय	10	23541.85	25620.00	10364.82	26470.00
2201	Administrative Expenses	2201	प्रशासनिक व्यय	11	2076.44	1808.00	290.70	1774.00
2301	Operation & Maintenance	2301	अभियन्त्रण एवं अनुरक्षण	13	8208.54	25066.00	4123.85	23558.00
2401	Interest & Financial Charge	2401	ब्याज एवं वित्तीय शुल्क	14	314.57	508.00	0.06	408.00
	TOTAL -D-		योग (द)	14	34141.40	53002.00	14779.43	52210.00
	Capital Expenses		पूँजीगत व्यय					

ह...महापौर

3111	Earmarked Fund	3111	कार्य विशेष निधियाँ					
	Finance Commission		वित्त आयोग	14	3068.70	4000.00	2038.93	7000.00
	Infrastructure Fund		अवस्थापना निधि	14	2574.69	4100.00	811.83	8500.00
	Other Earmarked Fund		अन्य कार्य विशेष निधियाँ	15	464.44	857.00	210.27	1543.33
3301	Secured Loans	3301	सुरक्षित ऋण	15	0.00	4.00	0.00	4.00
3311	Unsecured Loans	3311	असुरक्षित ऋण	15	0.00	107.00	0.00	107.00
4101	Fixed Assets	4101	स्थाई सम्पत्तियाँ	17	402.70	1430.00	53.29	1488.00
	Total –E-		कुल योग (य)	17	6510.53	10498.00	3114.32	18642.33
	Reserve Fund (JNNURM)		रिजर्व फण्ड (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)					
3112	ULB Share Transfer (JNNURM)	3112	निकाय अंश हस्तान्तरण	15	6899.94	2800.00	2312.75	9003.97
4121	Work in Progress Under JNNURM Projects	4121	जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर	17	9000.38	61399.45	0.00	61399.45
	JNNURM Scheme Advance		जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना अग्रिम	18	14879.97	4201.05	2391.55	24802.15
	TOTAL –F-		योग (र)		30780.29	68400.50	4704.29	95205.57
	TOTAL REVENUE, Capital & Reserve Fund Income (D+E+F)		कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय (द+य+र)	18	71432.22	131900.50	22598.04	166057.90
3401	Less:- Outstanding dues/Suspenses	3401	घटायें :- देयतायें/उचन्त खाते	18	-2630.49	0.00	-111.32	0.00
	Net Revenue & Capital Expenses		शुद्ध राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय	18	74062.71	131900.50	22709.35	166057.90
4502	Closing Balance	4502	अन्तिम अवशेष:-	18	32907.57	17416.67	63286.69	21739.14
	Grand Total		महायोग	18	106970.28	149317.17	85996.04	187797.04

श्री सुहैल अहमद ने कहा कि सबसे ज्यादा शिकायत उ०प्र० जल निगम की कार्यप्रणाली से है, क्योंकि बिना किसी सूचना के मनचाहे ढंग से शहर के किसी भी स्थान की सड़क जब चाहे खोद दी जाती है। नगर निगम नोडल एजेन्सी है। नगर निगम का जल निगम के कार्यों के पर्यवेक्षण में भी विशेष अधिकार होना चाहिये, जबकि जल निगम को केवल धनराशि उपलब्ध करा दी जाती है। कार्यों में समन्वय नहीं रखा जाता है।

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि सी.टी.आई. वाली सड़क अभी कुछ समय पूर्व नगर निगम द्वारा बनाई गई थी, उस पर जल निगम द्वारा खुदाई कर दी गई है, इससे नगर निगम को आर्थिक क्षति के साथ-साथ क्षेत्रीय नागरिकों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

श्री आशुतोष त्रिपाठी ने भी पी रोड में नगर निगम की बनाई गई सड़क पर तत्काल जल निगम द्वारा की गई खुदाई की शिकायत की।

श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला ने कहा कि नगर निगम को दोहरी क्षति होती है। पहला कि नगर निगम द्वारा बनाई गई सड़क पर जल निगम द्वारा रोड कटिंग करने पर आर्थिक क्षति, दूसरा क्षेत्रीय जनता को यातायात में असुविधा होने पर नगर निगम की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

सभापति ने भी कहा कि चूँकि नगर निगम नोडल एजेन्सी है, अतः जल निगम द्वारा रोड कटिंग कहाँ कहाँ कराई जा रही है तथा उनके द्वारा किये जा रहे कार्य निर्धारित मानक के अनुरूप हैं, अथवा नहीं। कानपुर नगर में जल निगम द्वारा कराई जा रही रोड कटिंग की तालिका प्राप्त कर समय समय पर नगर निगम द्वारा परीक्षण किया जाना समीचीन होगा। इससे पारदर्शिता भी बनी रहेगी।

नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि कानपुर नगर निगम नोडल एजेन्सी जरूर है, परन्तु नगर निगम द्वारा केवल धनराशि का भुगतान किया जाता है और की गई धनराशि के भुगतान के प्रस्ताव कार्यकारिणी एवं सदन में सूचनार्थ प्रेषित किये जाते हैं। अन्य कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। सभापति के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने हेतु रोड कटिंग वाले स्थलों की तालिका प्राप्त कर परीक्षण करा लिया जायेगा।

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि पुनरीक्षित बजट की प्रति अभी मिली है, सभी सदस्यों के मर्दानों का संज्ञान नहीं है। अतः यदि इसकी प्रतियाँ कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को बैठक के पूर्व उपलब्ध करा दी जाती तो उचित होता।

सभापति ने सभी सदस्यों को आश्वस्त किया कि भविष्य में ऐसा ही किया जायेगा।

श्री महेन्द्र शुक्ल ने कहा कि एल.ई.डी. लाईट लगाये जाने का प्रस्ताव पूर्व से स्वीकृत है, तो अनावश्यक टावर न लगाये जाये। अतः पुनरीक्षित बजट में जो मार्गप्रकाश अनुरक्षण के मद संख्या 2305002 में प्रस्तावित 700 लाख रूपये के स्थान पर 400 लाख रूपये किये जाने पर विचार किया जाना उचित होगा।

..... मार्ग प्रकाश अनुरक्षण के मद संख्या 2305002 में प्रस्तावित 700 लाख रूपये की धनराशि के स्थान पर 500 लाख रूपये अर्थात् उक्त मद में रू0 200 लाख की कमी करते हुये पुनरीक्षित बजट 2014-15 के आय पक्ष में प्रारम्भिक अवशेष रू0 14855.93 लाख के साथ धनांक रू0 187797.04 लाख की धनराशि तथा व्यय पक्ष में अन्तिम अवशेष धनांक रू0 21539.14 लाख के सहित कुल धनांक रू0 187797.04 लाख की धनराशि को स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

सभापति ने कहा कि पुनरीक्षित बजट के पश्चात् कार्यसूची के बिन्दुओं पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव संख्या-676

नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/ 123 / न.आ./प्रोजेक्ट-सेल /14-15 दिनांक 15.09.214 के क्रम में मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव सूचनार्थ प्रेषित।

:- प्रस्ताव -

कानपुर नगर जाजमऊ स्थित 36 एम.एल.डी. सी.ई.टी.पी. के संचालन एवं रखरखाव पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत नगर निगम देय धनराशि के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ.प्र. जल निगम, कानपुर कार्यालय के पत्र संख्या: 2375/एसी-1/142, दिनांक 08.08.2014 एवं पत्र संख्या: 2803/एसी-1/150, दिनांक 05.09.2014 के अनुरोध तथा मा. उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेशों के क्रम में टेनरी वेस्ट हेतु स्थापित प्लान्ट के संचालन एवं रख-रखाव हेतु कार्यहित में नगर आयुक्त द्वारा 50,00,000.00 की धनराशि अवमुक्त/भुगतान किये जाने की स्वीकृत दिनांक 15.09.2014 को प्रदान की गयी है। जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... पढ़ा गया।

प्रस्ताव संख्या-677

नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/ 1502 / स्वा0./एनएसए दिनांक 27.09.1414 के क्रम में मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव सूचनार्थ प्रेषित।

:- प्रस्ताव -

आपसे अनुरोध है कि फागिंग कार्य हेतु उपयोग में जायी जाने वाली मैलाथियान टेक्निकल 95 प्रतिशत मेसर्स हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइडस लिमिटेड, नई दिल्ली (भारत सरकार का उपक्रम) से किया जाना है। 1500 किलोग्राम की धनांक रूपया 265.65 प्रति किलोग्राम की दर से (वैट एवं अतिरिक्त करों सहित) क्रय

किया जाना है, जिसका कि कुल धनांक रूपया 3,98,475.00 (तीन लाख अट्ठानवे हजार चार सौ तिचहत्तर) मात्र है। जिसकी की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा 23.09.2014 को एवं माननीय महापौर जी द्वारा 26.09.2014 को प्रदान की गयी है।

अतः प्रस्ताव माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

..... पढ़ा गया।

अभियन्त्रण खण्ड-3 (सूचनार्थ)

प्र0 सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा दर	निविदा धनांक	ठेकेदार का नाम	निर्णय
678	वाई ब्लाक के अन्तर्गत म0न0-128/100 से म0न0-128/900 तक सडक व नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	920961.00	7.99%निम्न	852821.00	मेसर्स भारत इन्टरप्राइजेज	पढ़ा गया
679	लाल कालोनी में ब्लाक न0-236 से 247 तक फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	974733.00	18.7%निम्न	821174.00	मेसर्स यूनिटी कान्स0 एण्ड सप्लायर्स	पढ़ा गया
680	म0न0-बी-650 से 638 एवं बी-651 से 637 तक सडक व नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	744343.00	4.96% निम्न	709169.00	मेसर्स महा कालेश्वर इन्टरप्राइजेज	पढ़ा गया
681	न्यू कमला देवी मैमोरियल स्कूल से ट्रॉसफारमर तक नाली का निर्माण कार्य।	5(3)B	625214.00	0.4 % निम्न	622724.10	मेसर्स सुधा कान्स0	पढ़ा गया

अभियन्त्रण खण्ड-3 (स्वीकृतार्थ)

प्र0 सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा दर	निविदा धनांक	ठेकेदार का नाम	निर्णय
682	टी0पी0नगर में म0न0-133/601 से 133/595 तक हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा बी0एम0 एवं एस0डी0सी0 से सडक एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	1480151.00	1.2% निम्न	1462389.00	मेसर्स गणेश नारायन अवस्थी	स्वीकृत
683	बिनगवाँ गाँव में श्री राजेन्द्र के मकान से राजू सेनगर के मकान के पास हाईटेन्शन लाइन तक इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सडक व नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	1462937.00	15.01%निम्न	1272009.00	मेसर्स बजरंग इन्टरप्राइजेज	स्वीकृत
684	किदवई नगर टैम्पो स्टैण्ड से तिकोनियो पार्क के तीनों तरफ एवं ब्लाक न0-362 से 360	5(3)B	1243954.00	17.70%निम्न	1056886.00	मेसर्स यूनिटी कान्स0 एण्ड सप्लायर्स	स्वीकृत

	एवं 354 से 355 एवं 35 से 43 तक नाली एवं साइड पटरी का सुधार कार्य।						
685	वाई ब्लॉक किदवई नगर स्थित म0न0-128/893 से म0न0-128/863 तक सड़क का सुधार कार्य।	5(3)B	1165554.00	8.3% निम्न	1076228.00	मेसर्स भारत इन्टरप्राइजेज	स्वीकृत
686	मकान न0-146 रमाशंकर के मकान से अनिल चतुर्वेदी के मकान तक नाली का निर्माण कार्य।	5(3)B	1036002.00	0.5 % निम्न	1030848.00	मेसर्स सुधा कान्स0	स्वीकृत
687	म्यूजिकल फाउन्टेन पार्क की रंगाई पुताई एवं मरम्मत का कार्य।	5(3)B	1445032.00	19.00%निम्न	1214313.00	मेसर्स लखन कान्स0क0	स्वीकृत
688	मकान0न0-40 से 48 एवं 110-ए से 23 ए तक साइड पटरी एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	1139430.00	12.12%निम्न	1016260.00	मेसर्स दिलीप कुमार बाजपेयी	स्वीकृत
689	बर्ग-2 में एम0ई0-216 से एम0ई0-235 तक सड़क फुटपाथ व नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	2987066.00	-	-	-	स्वीकृत

प्रस्ताव संख्या-690

नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/ 547/अ0अ0-6 दिनांक 15.09.214 के क्रम में मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव सूचनार्थ प्रेषित।

:— प्रस्ताव —

जोन-6 वार्ड 27 शास्त्री नगर के अन्तर्गत नन्दलाल आटा चक्की चौराहा से छैय्या होटल चौराहा तक सड़क का सुधार कार्य हेतु आगणन धनांक 20,53,810.00 का बनाया गया है। जिसे बजट हेड राज्य वित्त आयोग से कराया जाना प्रस्तावित है। जनहित में कार्य कराया जाना आवश्यक है।

अतएव उक्त आगणन धनांक **रु0 20,53,810.00** के व्यय की स्वीकृति हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के माध्यम से नगर निगम सदन से अपेक्षित है।
..... स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

श्री आशुतोष त्रिपाठी ने कहा कि उद्यान विभाग द्वारा जो वृक्षारोपण के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं, जिसमें 16 में से 12 कार्यों में एक ही एजेन्सी मेसर्स विनय पौधशाला की निविदा स्वीकृत होने पर संदिग्धता प्रतीत होती है, क्योंकि संज्ञान में आया है कि एजेन्सी द्वारा एक पौधे के रख-रखाव हेतु रु0 7,500/- लिये जा रहे हैं।

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि कानपुर नगर में हो रहे वृक्षारोपण कार्यों की जाँच कराई जाये।

नगर आयुक्त के निर्देशानुसार श्री बी0के0सिंह, उद्यान अधीक्षक ने स्पष्ट करते हुये कहा कि कार्यों की प्रतिस्पर्धा हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। ई-टेंडरिंग के माध्यम से मेसर्स विनय पौधशाला की सर्वन्यून निविदा प्राप्त होने पर नगर निगम हित में स्वीकृति प्रदान की गई है। तीन वर्षों तक पौधों की देखभाल एवं रख-रखाव की शर्तों के साथ पत्रावली को स्वीकृति प्रदान की गई है। पौधे जीवित दिखेंगे तभी इनका भुगतान किया जायेगा। लगभग

26000 पौधे इनके द्वारा ट्री-गार्ड लगाते हुये रोपित किये गये है, जिनमें लगभग 22000 जीवित है। क्लीन कानपुर-ग्रीन कानपुर योजना के तहत वृक्षारोपण कराया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की अनियमितता न हुई है और न भविष्य में होगी।

श्री नवीन पण्डित ने भी सहमति जताई कि उक्त एजेन्सी द्वारा मेरे वार्ड के अन्तर्गत लगाये गये पौधे अभी भी जीवित है।

नगर आयुक्त ने भी समिति के सदस्यों को बताया कि मण्डलायुक्त महोदय ने रू0 1320/- प्रति ट्री-गार्ड सहित 40000/- पौधे लगाने का लक्ष्य दिया था, उसी क्रम में नगर निगम द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम संचालित हो रहा है।

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने उद्यान अधीक्षक की बातों का समर्थन करते हुये कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में वृक्षारोपण सही ढंग से हुआ है।

श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला ने कहा कि पानी के टैंकर की व्यवस्था कर दी जाये, जिससे इनकी सिंचाई में कोई कठिनाई न हो।

नगर आयुक्त ने कहा कि पौधों के अनुरक्षण हेतु शर्तों के आधार पर एजेन्सी द्वारा तीन वर्ष तक पौधों की सिंचाई एवं रख-रखाव किया जायेगा, फिर भी भविष्य में वृक्षारोपण के दृष्टिगत पानी के टैंकर की व्यवस्था कर दी जायेगी।

सभापति ने कहा कि 60 प्रतिशत पौधे जीवित रहना स्वयं स्पष्ट करता है कि ग्रीष्म ऋतु में भी इनकी सिंचाई की व्यवस्था एजेन्सी द्वारा की गई है, तथापि यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि पौधे जीवित है। कानपुर नगर में जहाँ कहीं भी खुली जगह हो क्लीन कानपुर-ग्रीन कानपुर योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण हेतु सघन वृक्षारोपण कराया जाये।

नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/227/उद्यान/2014-15 दिनांक 07.10.2014 के द्वारा उद्यान विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित निम्न कार्यों की स्वीकृतोपरान्त नगर निगम की अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत सूचनार्थ प्रस्तुत है।

प्र0स 0.	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा दर	निविदा धनांक	ठेकदार का नाम	निर्णय
691	उद्यान विभाग के अन्तर्गत आवास विकास नं.-3 कल्याणपुर के सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण का कार्य।	2305102	7,21,953.00	1.00 % निम्न	7,14,733.00	मैसर्स विनय पौधशाला	पढ़ा गया
692	उद्यान विभाग के अन्तर्गत विकास नगर के मार्ग पर वृक्षारोपण का कार्य।	2305102	7,21,953.00	9.20 % निम्न	6,55,534.00	मैसर्स विनय पौधशाला	पढ़ा गया
693	उद्यान विभाग के अन्तर्गत गीता नगर के विभिन्न मार्गों पर वृक्षारोपण का कार्य।	2305102	5,41,780.00	4.00 % निम्न	5,20,109.00	मैसर्स विनय पौधशाला	पढ़ा गया
694	उद्यान विभाग के अन्तर्गत शादरा नगर के विभिन्न मार्गों पर वृक्षारोपण का कार्य।	2305102	5,41,780.00	1.25 % निम्न	5,35,008.00	गुप्ता इन्टर प्राइसेज	पढ़ा गया
695	उद्यान विभाग के अन्तर्गत गंगा बैराज से गुरुदेव चौराहा मार्ग पर वृक्षारोपण का कार्य।	2305102	8,99,103.00	1.50 % निम्न	8,85,611.00	गुप्ता इन्टर प्राइसेज	पढ़ा गया
696	उद्यान विभाग के अन्तर्गत जोन-6 स्थित महाबलीपुरम में हाईटेंशन लाइन के नीचे हरित पट्टिका में वृक्षारोपण का	2305102	3,51,873.00	3.50 % निम्न	3,39,557.00	मैसर्स विनय पौधशाला	पढ़ा गया

क्र.सं.	कार्य।	प्र.सं.	मद	आगणन धनांक	निविदा दर	निविदा धनांक	ठेकदार का नाम	निर्णय
697	उद्यान विभाग के अन्तर्गत जाजमऊ स्थित डी ब्लॉक के विभिन्न मार्गों पर वृक्षारोपण का कार्य।	2305102	7,21,953.00	1.1 % निम्न	7,14,012.00	मैसर्स विनय पौधशाला	पढ़ा गया	
698	उद्यान विभाग के अन्तर्गत जोन-4 स्थित चुन्नीगंज स्थित पुराने डम्प स्थल पर वृक्षारोपण का कार्य।	2305102	5,42,144.00	2.5 % निम्न	5,28,591.00	मैसर्स विनय पौधशाला	पढ़ा गया	
699	उद्यान विभाग के अन्तर्गत पनकी के विभिन्न मार्गों व डिवाइडर पर वृक्षारोपण का कार्य।	2305102	7,21,953.00	6.40% निम्न	6,75,749.00	मैसर्स विनय पौधशाला	पढ़ा गया	
700	उद्यान विभाग के अन्तर्गत गुरुदेव चौराहे से कल्याणपुर कसिंगं मार्ग पर वृक्षारोपण का कार्य।	2305102	8,99,103.00	7.73% निम्न	8,29,602.00	मैसर्स विनय पौधशाला	पढ़ा गया	
701	उद्यान विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु विभिन्न प्रजातियों के पौधों की आपूर्ति का कार्य।	2305102	9,57,675.00	9.90% निम्न	8,62,865.00	मैसर्स विनय पौधशाला	पढ़ा गया	
702	उद्यान विभाग के अन्तर्गत जोन-5 में शास्त्री चौ से बर्वा वाई पास तक स्थित हरित पट्टिका में वृक्षारोपण का कार्य।	2305102	5,29,994.00	9.00% निम्न	4,82,295.00	मैसर्स नन्दनी कान्स. क.	पढ़ा गया	

नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/228/उद्यान/2014-15 दिनांक 07.10.2014 के द्वारा उद्यान विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित निम्न कार्यो की स्वीकृतोपरान्त नगर निगम की अधिनियम की धारा 132(3) के अन्तर्गत स्वीकृतार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्र.सं.	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा दर	निविदा धनांक	ठेकदार का नाम	निर्णय
703	उद्यान विभाग के अन्तर्गत जाजमऊ स्थित एस.टी.पी. पर वृक्षारोपण का कार्य।	2305102	14,35,515.00	1.31% निम्न	14,19,724.00	मैसर्स कुमार एण्ड कम्पनी	स्वीकृत
704	उद्यान विभाग के अन्तर्गत वार्ड 24 स्थित केशव नगर उस्मानपुर एवं साकेत नगर तथा वार्ड 60 में 80 फिट रोड की विभिन्न सड़कों के किनारे फुटपाथ पर वृक्षारोपण का कार्य।	2305102	12,62,473.00	0.5% निम्न	12,56,162.00	मैसर्स केशव चन्द्रा	स्वीकृत
705	उद्यान विभाग के अन्तर्गत वार्ड 24 स्थित सचान गेस्ट हाउस से मोरंग मण्डी चौराहा, दीप टाकीज से गुरुद्वारा चौराहा एवं साकेत नगर के अन्दर की सड़कों पर वृक्षारोपण का कार्य।	2305102	10,82,300.00	0.5% निम्न	10,76,889.00	मैसर्स केशव चन्द्रा	स्वीकृत

706	उद्यान विभाग के अन्तर्गत गुमटी नं.-5 से ब्रह्म नगर चौराहे पर वृक्षारोपण का कार्य।	2305102	10,82,353.00	7.50% निम्न	10,01,177.00	मैसर्स विनय पौधशाला	स्वीकृत
707	उद्यान विभाग के अन्तर्गत महाबली पुरम के विभिन्न मार्गों पर वृक्षारोपण का कार्य।	2305102	10,82,353.00	0.45% निम्न	10,77,483.00	मैसर्स विनय पौधशाला	स्वीकृत
708	उद्यान विभाग के अन्तर्गत आवास विकास कल्याणपुर के डिवाइडर व सड़क के किनारे वृक्षारोपण का कार्य।	2305102	12,62,473.00	0.23% निम्न	12,59,570.00	मैसर्स विनय पौधशाला	स्वीकृत

प्रस्ताव संख्या-709

नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/16./उद्यान/2014-15 दिनांक 03.11.14 को नगर निगम की अधिनियम की धारा 132 (5) के अन्तर्गत सूचनार्थ प्रेषित

:- प्रस्ताव -:

वार्ड 20 जोन-6 इन्दिरा नगर के अन्तर्गत दयानन्द विहार में स्थित दयानन्द पार्क की मरम्मत का कार्य हेतु आगणन धनांक रु. 6,53,883.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 08.09.2014 को प्रदान की गयी, तदोपरान्त कार्य की निविदा दिनांक 25.09.2014 को आमन्त्रित की गयी और दिनांक 29.09.2014 को खोली गयी, जिसमें प्राप्त वैध तीन निविदाओं में सर्वनिम्न निविदा मैसर्स अभित अभित इन्टर प्राइसेज की आगणन से 1.20 प्रतिशत निम्न धनांक रु. 6,46,036.40 की प्राप्त हुई है। उक्त कार्य बजट हेड 2305101 के अन्तर्गत प्रस्तावित है। क्षेत्रीय नागरिको एवं मा. पार्षद द्वारा कार्य को कराये जाने हेतु बार-बार कहा जा रहा है अतः कार्य की आवश्यकता को देखते हुए प्राप्त वैध निविदाओं में सर्वनिम्न निविदादाता मैसर्स अभित इन्टर प्राइसेज की निविदा दर आगणन से 1.20 प्रतिशत निम्न पर धनांक रु. 6,46,036.40 की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 01.11.2014 को स्वीकृत किया गया है, जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... पढ़ा गया।

प्रस्ताव संख्या-710

नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/15./उद्यान/2014-15 दिनांक 27.10.2014 को नगर निगम की अधिनियम की धारा 132 (5) के अन्तर्गत

सूचनार्थ प्रेषित।

:- प्रस्ताव -:

जोन-6 के अन्तर्गत वार्ड 9 में स्थित तिकोना पार्क का सुधार कार्य एवं पार्क के बाहर फुटपाथ निर्माण कार्य हेतु मा. क्षेत्रीय पार्षद के पत्र पर उच्चाधिकारियों के निर्देशों के अनुपालन में एक आगणन धनांक रु. 3,86,495.00 का नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 08.09.2014 को स्वीकृतोपरान्त कार्य की निविदा दिनांक 25.09.2014 को मांगी गयी, जिसमें तीन निविदायें प्राप्त हुई, प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम निविदा मैसर्स कनक कान्सट्रक्शन कम्पनी की आगणन से 1.00 निम्न धनांक रूपया 3,82,630 की प्राप्त हुई है। दरें वर्तमान पी.डब्ल्यू डी शेड्यूल 2014 के अनुसार उचित हैं। कार्य को कराये जाने हेतु क्षेत्रीय पार्षद जी द्वारा बार-बार कराये जाने हेतु कहा जा रहा है। कार्य को जनहित में आवश्यकता की दृष्टि से सर्वनिम्न निविदादाता मैसर्स कनक कान्सट्रक्शन कम्पनी से आगणन दर से 1.00

निम्न पर कराये जाने के साथ निविदा धनराशि रू. 3,82,630.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 16.10.14 को प्रदान की गयी है। जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रस्ताव प्रेषित है।

..... पढ़ा गया।

प्रस्ताव संख्या-711

नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/21/उद्यान/2014-15 दिनांक 05.11.2014को नगर निगम की अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत सूचनार्थ प्रेषित।

:— प्रस्ताव —:

जोन-5 के अन्तर्गत वार्ड 89 में दर्शनपुरवा हनुमान पार्क एवं चन्देल पार्क (पानी की टंकी वाला पार्क) का सुधार कार्य हेतु मा. क्षेत्रीय पार्षद के पत्र पर उच्चाधिकारियों के निर्देशों के अनुपालन में एक आगणन धनांक रू. 2,39,582.00 का नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 08.09.2014 को स्वीकृतोपरान्त कार्य की निविदा दिनांक 25.09.2014 को मांगी गयी, जिसमें तीन निविदायें प्राप्त हुईं, प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम निविदा मैसर्स वर्धमान इन्टर प्राइसेज की आगणन से 0.00 प्रतिशत निम्न अर्थात् आगणन दर पर रूपया 2,39,582.00 की प्राप्त हुई है। दरें वर्तमान पी.डब्लू. डी शेड्यूल 2014 के अनुसार उचित हैं। कार्य को कराये जाने हेतु क्षेत्रीय पार्षद जी द्वारा बार-बार कराये जाने हेतु कहा जा रहा है। कार्य को जनहित में आवश्यकता की दृष्टि से सर्वनिम्न निविदादाता मैसर्स वर्धमान इन्टर प्राइसेज से आगणन से 0.00 निम्न अर्थात् आगणन दर पर कराये जाने के साथ निविदा धनराशि रू. 2,39,582.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 16.10.2014 को प्रदान की गयी है। जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रस्ताव प्रेषित है।

..... पढ़ा गया।

प्रस्ताव संख्या-712

नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/229./उद्यान/2014-15 दिनांक 07.10.2014को नगर निगम की अधिनियम की धारा 132(3) के अन्तर्गत स्वीकृतार्थ प्रेषित।

:— प्रस्ताव —:

जोन-5 के अन्तर्गत वार्ड 62 में बर्रा गांव में स्थित गुलाब गार्डन की बाउन्ड्रीवाल के निर्माण कार्य हेतु मा. क्षेत्रीय पार्षद एवं जगेन्द्र स्वरूप के पत्र पर उच्चाधिकारियों के निर्देशों के अनुपालन में एक आगणन धनांक रू. 19,97,504.00 का बनाया गया है, जिसमें खुदाई, चुनाई, प्लास्टर, रंगाई व पुताई का के कार्य का प्रविधान किया गया है। कार्य का व्यय नगर निगम निधि 2305102 के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से कराया जाना प्रस्तावित है।

अतः आगणन धनांक रू. 19,97,504.00 की स्वीकृति हेतु मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-713

नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/106/उद्यान/2014-15 दिनांक 27.12.2014 को नगर निगम की अधिनियम की धारा 132(3) के अन्तर्गत स्वीकृतार्थ प्रेषित।

:— प्रस्ताव —:

जोन-6 लखनपुर हाउसिंग सोसाइटी के अन्तर्गत स्थित मं.न. 667 के सामने पार्क की बाउन्ड्रीवाल एवं पाथवें का निर्माण कार्य हेतु आगणन धनांक रू. 7,38,632.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त दिनांक 12.09.2014 को दी गयी। तदोपरान्त कार्य की निविदा दिनांक 28.11.2014 को ई टेण्डरिंग के माध्यम से तृतीय बार आमन्त्रित की

ह...महापौर

गयी, एक निविदा मैसर्स गगन कान्सट्रक्शन कम्पनी की आगणन से 5.00 प्रतिशत उच्च जस्टीफिकेश से 4.82 प्रतिशत निम्न पर धनांक रू. 7,75,564.00 की प्राप्त हुई है। उक्त कार्य बजट हैड 2305101 के अन्तर्गत प्रस्तावित है। जनहित एवं कार्य की आवश्यकता की दृष्टि से सर्वनिम्न निविदा मैसर्स गगन कान्सट्रक्शन कम्पनी की निविदा जस्टीफिकेशन से 4.82 प्रतिशत निम्न पर धनांक रू 7,75,564.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक **24.12.2014** प्रदान की गयी, जो मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... पढ़ा गया।

प्रस्ताव संख्या-714

नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/107/उद्यान/2014-15 दिनांक 27.12.2014 के द्वारा नगर निगम की अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत सूचनार्थ प्रस्तुत है।

:- प्रस्ताव -:

जोन-6 वार्ड 16 लखनपुर हाउसिंग सोसाइटी में म. नं. 658 के सामने स्थित पार्क की बाउन्ड्रीवाल एवं पाथवें के निर्माण हेतु आगणन धनांक 7,28,336.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 01.09.2014 को प्रदान की गयी, तदोपरान्त कार्य की निविदा दिनांक 28.11.2014 को मांगी गयी, जिसमें प्राप्त तीन वैध निविदाओं में न्यूनतम निविदा मैसर्स विनय पौधशाला की आगणन से 0.15 प्रतिशत निम्न पर धनांक रू. 7,27,243.00 की प्राप्त हुई। जनहित व कार्य की आवश्यकता की दृष्टि से नगर आयुक्त द्वारा **न्यूनतम निविदादाता की निविदा आगणन से 0.15 प्रतिशत निम्न धनांक रू. 7,27,243.00 की दिनांक 24.12.2014 को स्वीकृति प्रदान** की गयी, जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... पढ़ा गया।

प्रस्ताव संख्या-715

नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/108/उद्यान/2014-15 दिनांक 27.12.2014 के द्वारा नगर निगम की अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत सूचनार्थ प्रस्तुत है।

:- प्रस्ताव -:

जोन-6 वार्ड 16 लखनपुर हाउसिंग सोसाइटी में पार्क नं.-2 की बाउन्ड्रीवाल एवं पाथवें के निर्माण हेतु आगणन धनांक 7,29,745.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 01.09.2014 को प्रदान की गयी, तदोपरान्त कार्य की निविदा दिनांक 28.11.2014 को मांगी गयी, जिसमें प्राप्त तीन वैध निविदाओं में न्यूनतम निविदा मैसर्स विनय पौधशाला की आगणन से 0.19 प्रतिशत निम्न पर धनांक रू. 7,27,921.00 की प्राप्त हुई। जनहित व कार्य की आवश्यकता की दृष्टि से नगर आयुक्त द्वारा **न्यूनतम निविदादाता की निविदा आगणन से 0.19 प्रतिशत निम्न धनांक रू. 7,27,921.00 की दिनांक 24.12.2014 को स्वीकृति प्रदान** की गयी, जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... पढ़ा गया।

प्रस्ताव संख्या-716

नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/109/उद्यान/2014-15 दिनांक 27.12.2014 के द्वारा नगर निगम की अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत सूचनार्थ प्रस्तुत है।

:- प्रस्ताव -:

जोन-6 वार्ड 46 सत्यम विहार में मं. नं. एच-382 के सामने स्थित पार्क की बाउन्ड्रीवाल एवं पाथवें के निर्माण हेतु आगणन धनांक 6,30,411.00 की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 01.09.2014 को प्रदान की गयी, तदोपरान्त कार्य की निविदा दिनांक 28.11.2014 को मांगी गयी, जिसमें प्राप्त तीन वैध निविदाओं में न्यूनतम

ह...महापौर

निविदा मैसर्स विनय पौधशाला की आगणन से 0.75 प्रतिशत निम्न पर धनांक रू. 6,25,684.00 की प्राप्त हुई। जनहित व कार्य की आवश्यकता की दृष्टि से नगर आयुक्त द्वारा न्यूनतम निविदादाता की निविदा आगणन से 0.75 प्रतिशत निम्न धनांक रू. 6,25,684.00 की दिनांक 24.12.2014 को स्वीकृति प्रदान की गयी, जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... पढ़ा गया।

प्रस्ताव संख्या-717

नगर आयुक्त के पत्र संख्या-डी/ 592/अ0अ0-6 दिनांक 26.12.14 को नगर निगम अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत सूचनार्थ प्रेषित।

—: प्रस्ताव :-

जोन-6 वार्ड-26 विजय नगर के अन्तर्गत ब्लॉक नं0-62/1 (रामू टेन्ट हाउस) के मकान से चतुर्वेदी आटा चक्की तक सड़क का सुधार कार्य हेतु आगणन धनांक रूपया 1738508.00 का बनाया गया है। जिसे बजट हेड राज्य वित्त आयोग से कराया जाना प्रस्तावित है। जनहित में कार्य कराया जाना आवश्यक है।

अतएव उक्त आगणन धनांक रू0 1738508.00 के व्यय की स्वीकृति मा0 कार्यकारिणी समिति के माध्यम से नगर निगम सदन से अपेक्षित है।

..... पढ़ा गया।

प्रस्ताव संख्या-718

नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/75/उद्यान/2014-15 दिनांक02.01.15 को नगर निगम की अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत मा. कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा. सदन की स्वीकृति हेतु प्रेषित

:- प्रस्ताव -:

कानपुर नगर निगम सीमा के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में निम्न विवरण के अनुसार पार्कों के सौन्दर्यीकरण/मरम्मत एवं वृक्षारोपण का कार्य नगर निगम द्वारा कराया जायेगा, जो निम्नवत् है:-

क्रम सं०	पार्क का नाम	प्रस्तावित संस्था के अध्यक्ष/सचिव का नाम/पता/मो० नं०
1	हंसपुरम् फेश-II के सेक्टर A में भवन सं-630 के सामने स्थित पार्क	श्री नरेश सोनी, अध्यक्ष (9559080741)
2	हंसपुरम् वार्ड-39 फेश- II के सेक्टर 2-C में ब्रह्मदेव चौराहे के पास स्थित पार्क	श्री सुरेश बाबू पाण्डेय , अध्यक्ष (9839053277)
3	हंसपुरम् फेश-II के सेक्टर 2-D में भवन सं-517 के सामने स्थित पार्क	श्री पवन तिवारी, अध्यक्ष (9005410835)
4	हंसपुरम् फेश-II के सेक्टर 1-A में भवन सं-1584 के सामने स्थित पार्क	श्री बाबू सिंह यादव, अध्यक्ष (8400888881)
5	हंसपुरम् वार्ड-39 फेश- II के सेक्टर 2-A के अन्तर्गत भवन सं-274 के सामने स्थित पार्क	श्री प्रमोद शुक्ला, अध्यक्ष (9026431485)
6	हंसपुरम् सेक्टर बी-1 के भवन संख्या-485 (पीली कालोनी) के सामने स्थित पार्क	श्री अमीर चन्द्र मिश्रा, अध्यक्ष (9450125928)
7	मकान संख्या - बी/1198 से बी/1250 हंसपुरम् के सामने स्थित पार्क	श्री विनोद कुमार शुक्ला, अध्यक्ष

8	हंसपुरम् फेश- II बी सेक्टर सरस्वती शिशु मन्दिर के सामने स्थित पार्क	श्री तेजनारायण पाण्डेय , अध्यक्ष (9648807119)
9	मकान संख्या -3/137 ई.डब्ल्यू.एस. आवास विकास के सामने स्थित पार्क	श्री सुनील कुमार तिवारी, अध्यक्ष (9807767023)
10	मकान संख्या - 1980 से 1982 आवास विकास कालोनी हंसपुरम् के सामने स्थित पार्क	श्री दिनेश चन्द्र अग्निहोत्री, अध्यक्ष (9450039095)
11	मकान संख्या - बी/241 आवास विकास हंसपुरम् नौबस्ता के सामने स्थित पार्क	श्री कृष्ण कुमार अवस्थी, अध्यक्ष
12	मकान संख्या - 6 ए-325 के सामने स्थित पार्क	श्री अनिल मिश्रा, अध्यक्ष (90050925326)
13	चित्राप विल्श स्कूल आवास विकास हंसपुरम् नौबस्ता के सामने स्थित पार्क	श्री चित्रलेखा सचान, अध्यक्ष (9415129670)
14	जोन-6 वार्ड-32 नानकारी स्थित पार्क	श्री शैलेन्द्र सिंह, अध्यक्ष (9335799641)
15	हंसपुरम् फेश-II के सेक्टर A में भवन सं-630 के सामने स्थित पार्क	श्री रमाकान्त श्रीवास्तव, अध्यक्ष (9307203005)
16	अशोक वाटिका पार्क चौराहा के पास कात्यान स्कूल सेक्टर-एल-13 केशवपुरम् कानपुर	श्री रामशरण मिश्र, अध्यक्ष, उमेश एजूकेशन सोसाइटी (9889829989)
	जोन-6 वार्ड 26 विनय नगर स्थित जे0पी0 पार्क	श्री दीनानाथ, मंत्री (9450149688)

उपरोक्त पार्कों का निर्माण कार्य समाप्त होने के पश्चात् पार्कों के उक्त विवरण में अंकित पार्कों के सम्मुख उल्लिखित क्षेत्रीय नागरिकों की देखरेख में पार्कों के रखरखाव का कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिससे पार्कों के रखरखाव में होने वाले व्यय भार से बचा जा सकेगा। उक्त पार्कों के निर्माण कार्य समाप्त होने के उपरान्त तथा भविष्य में भी पार्कों के रखरखाव हेतु निम्न शर्तों के अधीन पार्कों को गोद दिया जाना प्रस्तावित है, जो निम्नवत् है:-

अनुमति पत्र

यह अनुमति पत्र आज दिनांकमाह.....वर्ष 2013 को नगर निगम, कानपुर नगर (भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू (1) (ग) व नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 4 के अनुसार एक स्थानीय निकाय) मोतीझील, कानपुर नगर उत्तर प्रदेश द्वारा नगर आयुक्त (जिस शब्द में नगर निगम के स्थान पर स्थापन स्थानीय निकाय या प्रशासक या विधि द्वारा सृजित संस्था भी सम्मिलित माने जायेंगे)।

प्रथमपक्ष

एवं

.....

द्वितीयपक्ष

के मध्य स्वीकृत, निष्पादित, व हस्ताक्षरित किया गया।

विदित हो कि :-

स्थानीय निकाय के अनिवार्य कर्तव्यों में धारा 114(41) के अनुसार नगरीय सुख-सुविधाओं की जैसे पार्क, उद्यान एवं खेल के मैदानों की व्यवस्था करना भी शामिल है। प्रदूषित जल, थल ऊष्मा, गगन व समीर से परित्राण हेतु योगाभ्यास अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यायाम माना जाता है। पार्क के हरे-भरे पेड़, पौधे, लताएं, हरी घास,

ह...महापौर

फूल आदि से आक्सीजन की प्राप्ति होती है। आक्सीजन मनुष्य जीवन हेतु अत्यन्त आवश्यक है। आक्सीजन की प्राप्ति हेतु पार्को के रख-रखाव, उन्नयन, परिवर्धन व परिमार्जन अत्यन्त आवश्यक है।

पार्क की महत्ता का अनुभव कर उत्तर प्रदेश सरकार ने पार्क, खेलकूद के स्थल व खुले स्थान (के प्रतिरक्षण व विनियमन) अधिनियम 1975 दिनांक 01.02.1995 लागू कर दिया है।

मानव सेवा हेतु अनेकानेक व्यक्ति, संस्थाएं, संघ, फर्म, कम्पनियां एवं ट्रस्ट (न्यास) पार्को में पेड़-पौधे, फल-फूल, लताएं, बेलें, बाग बगीचों का उन्नयन, प्रतिरक्षण, परिवर्धन एवं आकर्षक बनाने हेतु आगे आ रहे हैं। उपरोक्त संगठनों द्वारा पार्क में उन्नयन कर मानव सेवा के दृष्टिकोण से नगर निगम यह उचित एवं समीचीन समझती है कि उन्हें आक्सीजन वृद्धि हेतु एवं नागरिकों, स्त्री, पुरुष, बच्चों के कल्याण के लिये एक अवसर प्रदान किया जाये जिससे पार्को की महत्ता बढ़े एवं आक्सीजन प्राप्त हो सके। पार्क का आनन्द प्राप्त कर नागरिक अपनी चिन्ताएं दूर कर सकें।

द्वितीय पक्ष द्वारा उपरोक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, प्रथमपक्ष ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 451 में प्रदत्त अनुज्ञप्तियां और लिखित अनुज्ञाएं, उन्हें निलम्बित करने या उनका प्रतिसंरक्षण करने तथा शुल्क आदि लगाये जाने सम्बन्धी शक्तियों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव स्वीकार पारस्परिक सम्बन्धों एवं सामंजस्यों के निर्वाह व मधुर सम्बन्ध बनाए रख कर जन कल्याणार्थ आवश्यकीय कर्तव्यों के अनुपालन हेतु अनुमति पत्र लिखना लिखाना, निष्पादित करना, कराना हस्ताक्षरित करना व कराना उचित समझा। अतः यह अनुमति पत्र निम्न शर्तों पर लिखा गया :-

1. यह कि अनुमति पत्र में प्रदत्त अनुमति के अनुपालन में द्वितीय पक्ष नगर निगम, कानपुर नगर का पार्क निम्न शीर्षक देकर उन्नयन, परिवर्धन, परिमार्जन जनकल्याणार्थ सद्भावी प्रक्रिया से करेगा :-
2. यह अनुमति पत्र तिथि माह वर्ष से लागू माना जायेगा।
3. रखरखाव का यह अधिकार प्रथम बार वर्ष के लिये प्रदत्त किया जा रहा है। रखरखाव एवं अन्य शर्तों का पालन किये जाने की स्थिति में नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि पुनः दो-दो वर्ष के लिये नवीनीकरण कर सकते हैं।
4. नगर निगम, कानपुर में निहित उपरोक्त पार्क के सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष यह स्वीकार करता है कि प्रथम पक्ष को उत्तर प्रदेश पार्क खेल स्थल व खेल मैदान (प्रतिरक्षण एवं विनियमन) अधिनियम 1975 की धारा 7 के अनुसार पार्को के स्वच्छ एवं उचित दशा से रख-रखाव का ही अधिकार प्राप्त है। उसे पार्क का अन्तरण या पार्क के स्वरूप को बदलने की अनुमति देने की शक्ति नहीं है क्योंकि नगर निगम में निहित पार्क जनता की धरोहर है। इसलिये पार्क का स्वत्व व अध्यासन नगर निगम में ही निहित बना रहेगा।
5. पार्क के प्रबन्धन, परिवर्धन व जनहित में उन्नयन हेतु द्वितीयपक्ष का सम्पर्क एवं पत्राचार हेतु पता निम्नवत् है :-
.....कानपुर, फोन नं0.....मोबाइल नं0- ईमेल
6. प्रथमपक्ष नगर निगम कानपुर नगर से अनुमति पत्राचार व निर्देश हेतु निम्न पते पर सम्पर्क किया जा सकता है :-
अधिकारी का नामपद.....नगर निगम, कानपुर नगर - 208002, फोन नं0.....मोबाइल नं0.....
7. यह कि द्वितीयपक्ष पार्क का स्थलीय चित्रण कर एक मानचित्र तैयार करेगा और प्रस्तावित कार्यों को स्थलीय मानचित्र में दर्शाते हुये मानचित्र में ही ऐसी सूची प्रस्तावित कार्यों की लिखेगा जिसे प्रस्तावित कार्यों का ज्ञान हो सके। उपरोक्त स्थलीय चित्रण के अनुसार कार्य करने हेतु द्वितीयपक्ष प्रथमपक्ष से मानचित्र की

एक प्रतिलिपि एवं विवरण सहित वर्णन प्रथमपक्ष के अवलोकनार्थ, अनुशीलन, परिशीलन विचारार्थ प्रस्तुत करेगा। प्रस्तावित स्थलीय मानचित्र के अनुसार पार्क में प्रस्तावित कार्यों के करने की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त उन कार्यों का क्रियान्वयन करेगा।

8. यह कि प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष को पार्क में परिवर्धन, उन्नयन व श्वसन क्रिया हेतु आक्सीजन व बच्चों के सामान्य ज्ञान की वृद्धि, प्रदूषण से होने वाली बीमारियां, पशु-पक्षियों का ज्ञान, बागवानी, फल-फूल, पौधे, लताएं आदि हेतु निम्न अनुमति प्रदान करती है :-
- (क) द्वितीय पक्ष व उसके अधिकृत व्यक्तियों द्वारा पार्क में प्रतिदिन प्रवेश व पार्क के उन्नयन व परिवर्धन में योगदान।
- (ख) पेड़-पौधों, बेले व लताएं, फल व फूल व आदि की रखवाली, सिंचाई, उनकी उत्पत्ति एवं आकर्षक आकृति बनाने हेतु कार्य कराना।
- (ग) पेड़, पौधे, बेल, लताएं, फल-फूल आदि के नाम और उनके गुण का संक्षिप्त विवरण।
- (घ) पार्क की सीमा की सफाई, पुताई सीमा से पार्क के अन्दर कुछ दूरी पर टहलने के लिये खड़जा की सड़क का निर्माण करना, हरी घास उगाना, क्यारी, गमले व गमलों में फल-फूल के पौधे लगाने का कार्य करना उनकी सिंचाई करना व पेड़-पौधे, लताएं, बेले आदि के गिरे पत्तों की सफाई करना और उनसे खाद्य बनाने का प्रयत्न करना।
- (ङ) पार्क में दौड़ने टहलने व बैठने व सम्मर्सिबल पम्प या हैण्डपम्प से सिंचाई एवं पीने के पानी की व्यवस्था करना, विद्युत विभाग से विद्युत मीटर प्राप्त कर विद्युत प्रसार सम्बन्धी व्यवस्था करना व विद्युत व्यय व अन्य व्यय स्वयं वहन करना।
- (छ) हरी घास बिछाकर योगासन क्रिया करना एवं क्रिया करने हेतु उपाय करना।
- (ज) पार्क के रख-रखाव हेतु न्यूनतम माली की व्यवस्था संस्था से अनिवार्य रूप से करनी होगी।
9. द्वितीयपक्ष को निम्न कार्य करने से रोका (निरुद्ध) किया जा रहा है :-
- (क) पार्क की परिधि में कोयला, चूना, राखी, रसायन, विस्फोटक आदि पदार्थ रखना या अग्नेयास्त्रों का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से छिपाना, वर्जित होगा।
- (ख) पार्क के स्वरूप, क्षेत्रफल, पार्क की सीमाएं, पार्क की भूमि को यथावत पार्क की भांति प्रयोग करने के उद्देश्य का विनाश करना।
- (ग) पार्क का प्रयोग धार्मिक व राजनैतिक एवं किसी अन्य संस्था के प्रचार-प्रसार, मूर्तियों की स्थापना, धार्मिक स्थान का निर्माण, मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा व देवी देवताओं की स्थापना एवं ऐसे कार्य जिससे पार्क का प्रयोग व उपभोग पार्क में न हो सके एवं सार्वजनिक जनता के द्वारा पार्क के उपभोग में बाधा हो।
- (घ) पार्क में छायादार बड़े पेड़ों का काटना, सूखी लकड़ी इकट्ठा करना, बेचना, लकड़ी का व्यापार करना व लकड़ी की मदद से कोई निर्माण करना जो दुकान या भवन का स्वरूप ले सके।
- (ङ) पार्क में साइकिल, स्कूटर, मोटर साइकिल, कार, टैम्पों, टैक्सियों आदि का खड़ा करना।
- (च) नगर आयुक्त की अनुमति के बिना पार्क को विज्ञापन एवं ग्लोसाइन हेतु प्रयोग करना व किसी व्यवसायिक संस्थान, फर्म, कम्पनी के बोर्ड लगाकर किसी सूचना का प्रसारण या उसके गुडविल की वृद्धि करना, कुआं या गड्ढे खोदना या किसी स्थल कीचड़ स्थल बनाये रखना।
- (छ) पार्क की भूमि का विवाह समारोह हेतु प्रयोग करना, प्रदर्शनी लगाना, जलसों, रैली व पार्क के अन्दर किसी सभा के आयोजन करने की अनुमति देना।
- (ज) पार्क की भूमि का आवासीय या अनावासीय या व्यापारिक उद्देश्य हेतु प्रयोग करना या किसी व्यक्ति को भारत की संप्रभुता, एकता व अखण्डता के विनाश हेतु व्याख्यान देने की अनुमति देना, समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना को भड़काने सम्बन्धी बयान, प्रदर्शन, विज्ञापन व कार्टून बनाकर प्रदर्शित करना, धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधार पर भेदभाव करना या कूप्रथाओं और स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध व्याख्यान देना, चित्रण करना या अभिवाचन करना।
- (झ) भारत की गौरवशाली संस्कृति का उल्लंघन करवाना, व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधियों द्वारा देश हित, जनहित का विनाश करना।

10. द्वितीयपक्ष यदि पार्क का निरन्तर रख-रखाव न कर सके, पार्क की घास हरी-भरी न रख सके, आक्सीजन सम्बन्धी पेड़-पौधे, फल-फूल लताएं का परिवर्धन व परिमार्जन न रख सके और ऐसा व्यतिक्रम दो माह से अधिक अवधि तक जारी रहे तो द्वितीयपक्ष की अनुमति समाप्त कर दी जायेगी। इस अनुमति की समस्त धाराएं निष्प्रभावी हो जायेंगी और द्वितीयपक्ष द्वारा उल्लंघन करने पर व्यतिक्रम के परिप्रेक्ष्य में, सार्वजनिक हित के विनाश होने के दृष्टिकोण से एवं पार्क में सभी पेड़-पौधे वनस्पति, फल-फूल लताएं आदि के सूख जाने के दृष्टिकोण से प्रथमपक्ष, द्वितीयपक्ष से क्षतिपूर्ति करा सकता जो उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 503 लगायत 503 अध्याय 21 के आधार पर वसूला जा सकता है।
11. यह कि द्वितीयपक्ष न तो पार्क का साखान रूप से परिवर्तित करेगा और न ही किसी को परिवर्तित करने की अनुमति देगा। पार्क में संरचनात्मक निर्माण या परिवर्तन न करेगा एवं पार्क की उपयोगिता विनष्ट न होने देगा एवं अवैध या अनैतिक प्रयोजनों के निमित्त पार्क का प्रयोग न होने देगा।
12. यह कि द्वितीय पक्ष अपने दायित्व का स्वतः निर्वाह करेगा उसका अन्तरण परोक्ष या अपरोक्ष रूप से नहीं करेगा और यदि द्वितीयपक्ष दायित्व निर्वाह का दोषी पाया जावे या पार्क का प्रबन्धन किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित कर दे तो यह अनुमति समाप्त मानी जावेगी।
13. **प्रबन्धक का दायित्व :-**
पार्क के प्रबन्धन का दायित्व द्वितीयपक्ष का रहेगा और द्वितीयपक्ष प्रयत्न करे कि पार्क में घूमनेवालों पर अवांछित तत्वों का कोई अत्याचार न हो और होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट कराई जाये।
14. **उत्तरदायित्व की आर्थिक बचत हेतु बीमा कराना :-**
द्वितीयपक्ष का यह दायित्व होगा कि वह निश्चित धनराशि का बीमा करा लें जिससे किसी भी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक की क्षति के एवज में कोई क्षतिपूर्ति करना पड़े व उसका भुगतान कर सके।
15. **दैवी आपदाएं :-**
उभयपक्ष आंधी, तूफान, भूकम्प, बारिश, आक्रमण, विद्रोह आदि में हुई क्षति यदि ईश्वरीय आपदा के रूप में हुई हो तो क्षतिपूर्ति के उत्तरदायी नहीं होंगे किन्तु यदि दुर्भावना, लापरवाही या इरादतन अपराध करने की नियत से कोई कृत्य किया गया है उसके लिये द्वितीयपक्ष या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति क्षतिपूर्ति के उत्तरदायित्व होंगे।
16. **निरीक्षण व निर्देश का अधिकार :-**
प्रथमपक्ष व उसके अधिकृत अधिकारियों को पार्क का प्रत्येक समय निरीक्षण करने व जनहित सुरक्षा एवं अनुमति सम्बन्धी उचित आदेश प्रसारित करने का अधिकार रहेगा।
17. **अधिनियम, नियम, निर्देशों एवं शासनादेशों के पालन का दायित्व :-**
द्वितीय पक्ष के द्वारा केन्द्रीय व प्रान्तीय अधिनियमों की सुसंगत धाराएं नियम, निर्देश एवं शासनादेश एवं प्रथमपक्ष द्वारा प्रसारित निर्देशों एवं सुझावों का पालन करने व आवश्यकता अनुसार क्रियान्वयन करने का उत्तरदायित्व होगा। द्वितीयपक्ष माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, स्थानीय न्यायालयों, सक्षम अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकरण के आदेशों, निषेधाज्ञाओं, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य रहेगा। उल्लंघन की दशा में वह फलतः परिणाम व क्षतिपूर्ति का उत्तरदायी होगा।
18. **अनुमति पत्र सम्बन्धी व्यय के वहन करने का दायित्व :-**
अनुमति पत्र के निष्पादन में सामान्य स्टाम्प, टंकन, कम्प्यूटर टाइप व्यय, पंजीकरण हेतु व्यय एवं विधिक परामर्श हेतु व्यय द्वितीयपक्ष के उत्तरदायित्व पर होगा।
19. **द्वितीयपक्ष के द्वारा पार्क से सम्भावित आय की अनुज्ञा :-**

द्वितीयपक्ष पार्क में गमले में पौधे, फूल लगाने के बेचकर लताओं व पेड़ों को काटकर उनसे पुनः लताएं व पेड़ पैदा करने हेतु अंश बेचकर या फूल बेचकर एवं प्रवेश शुल्क तथा सम्भव आरोपित धन अर्जित कर सकता है, किन्तु प्रवेश शुल्क सम्बन्धी लिखित अनुज्ञा आरोपित करने के पूर्व प्रथमपक्ष से लिखित रूप से प्राप्त करेगा।

20. पंच निर्णय सम्बन्धी प्रक्रिया :-

अनुमति पत्र में वर्णित किसी विषय के विवाद के उत्पन्न होने पर विवाद का निस्तारण करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर नगर में निहित रहेगा। नगर आयुक्त स्वतः अथवा सक्षम अधिकारी नियुक्त कर फैसला करा सकते हैं। पंच फैसला सम्बन्धी सारी प्रक्रिया नगर आयुक्त अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रदाधिकारी के द्वारा नगर निगम परिसर मोतीझील कानपुर नगर में किया जायेगा और नगर आयुक्त का पंच फैसला नगर निगम एवं द्वितीयपक्ष पर बाध्य माना जावेगा।

21. यह कि द्वितीयपक्ष का पार्क की चल-अचल सम्पत्ति में किसी प्रकार का कोई अधिकार, हित, लगाव नहीं रहेगा। द्वितीयपक्ष के हित में पार्क के प्रबन्धन, परिवर्धन एवं उन्नयन का अधिकार अनुमति की समय सीमा के रहने तक या जनहित सम्बन्धी योगदान के चलते रहने तक माना जावेगा। अनुमति समाप्त होने पर द्वितीयपक्ष के पार्क के सम्बन्ध कोई हित, अधिकार, लगाव नहीं माना जावेगा।

22. द्वितीयपक्ष पार्क के प्रबन्धन, परिवर्धन व उन्नयन में जो भी व्यय करेगा, मानव से श्रम सम्बन्धी कार्य करायेगा, पेड़-पौधे, फल-फूल, बेलें, लताएं एवं सीमा दीवार व संरचनात्मक कार्य करेगा उसके निमित्त व्यय धन के अदा करने का दायित्व द्वितीय पक्ष पर रहेगा।

23. द्वितीयपक्ष के कृत्यों, व्यवहारों व आचरण से यदि प्रथमपक्ष के हित का विनाश हो और प्रथमपक्ष को क्षति के रूप में कोई धन देना पड़े या क्षतिपूर्ति करना पड़े तो ऐसे धन या क्षतिपूर्ति की धनराशि द्वितीयपक्ष या उसके सदस्यों की चल-अचल सम्पत्ति से प्राप्त करने का अधिकार होगा।

24. उभयपक्ष व्यक्तिगत या पंजीकृत डाक द्वारा अनुमति पत्र में लिखित संविदा 15 दिन के अन्तराल की नोटिस देकर समाप्त कर सकते हैं।

25. यदि द्वितीयपक्ष को अनुमति पत्र में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त किसी कृत्य को करना हो तो वह नगर निगम की ओर से अधिकृत अधिकारी की बिना लिखित अनुमति के करने का अधिकारी नहीं होगा।

26. नगर निगम के द्वारा द्वितीयपक्ष की अनुमति न्यायालय के आदेश, निर्देश, डिक्र, निषेधाज्ञा के अनुपालन, शासनादेश, विधि नियम, उप नियम पर नगर निगम की स्वतः की आवश्यकता अथवा नगर निगम के द्वारा उपर्युक्त के अनुपालन हेतु आवश्यकता हो तो द्वितीयपक्ष के हित में प्रभावी अनुमति समाप्त की जा सकती है।

27. यह कि द्वितीयपक्ष यह स्वीकार करता है कि पार्क के असतित्व, पार्क की भूमि, पार्क के पेड़-पौधे, फल-फूल, बेलें, लताएं, पार्क की सीमा व पार्क की सीमा में विज्ञापन सम्बन्धी कोई अधिकार इस अनुमति पत्र के द्वारा उसे नहीं प्राप्त हुआ है, पार्क की अनुमति के आधार पर द्वितीयपक्ष को किसी प्रकार के अधिकार, हित, लगाव निदान आदि के लिये न्यायालय जाने के लिये विधिक अधिकार न होगा और यदि द्वितीयपक्ष ऐसा करे तो वह प्रथमपक्ष के द्वारा प्रतिरक्षा करने के समस्त हर्जे-खर्चे का उत्तरदायी होगा।

अतः उक्त शर्तों के अधीन पार्कों के रखरखाव एवं देखरेख हेतु गोद दिये जाने की स्वीकृति हेतु मा. कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा. सदन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

..... पार्कों के रख-रखाव एवं देख-रेख हेतु तथा कानपुर नगर के मुख्य चौराहों को गोद दिये जाने की स्वीकृति हेतु अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित की जाये, जिसमें विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में क्षेत्रीय पार्षद को रखा जाये। तदनुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-719

नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/125/न.आ./उद्यान अधी./2014-15 दिनांक 08.01.2015 को मा. कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा. सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित।

कानपुर क्लीन-ग्रीन योजनान्तर्गत नगर विकास अनुभाग-7 के पत्र संख्या: 3543/ नौ-7-14-192(जनरल)/2014 दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 एवं शासन के पत्र संख्या: 176 एम.एस./नौ-7-14-192(जनरल)/2014 दिनांक 05.12.2014 के अनुपालन में कानपुर नगर को क्लीन ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किये जाने हेतु एक कार्ययोजना (अनुमानित लागत रू. 4,28,81,569.00) तैयार कर कार्यालय पत्र संख्या:डी/ 118/ न.आ./उद्यान अधी./14-15 दिनांक 06.01.2015 के माध्यम से उ.प्र. शासन को निम्नानुसार प्रेषित की गई है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमानित व्यय/आगणन
1	शनैश्वर मन्दिर से नमक फैक्ट्री चौराहे तक स्थित ग्रीन बेल्ट का सुधार एवं सुन्दरीकरण का कार्य।	38,84,424.00
2	नमक फैक्ट्री चौराहे से डबल पुलिया चौराहे तक स्थित ग्रीन बेल्ट का सुधार एवं सुन्दरीकरण का कार्य।	44,42,722.00
3	डबल पुलिया चौराहे से विजय नगर सब्जी मण्डी चौराहे तक स्थित ग्रीन बेल्ट का सुधार एवं सुन्दरीकरण का कार्य।	53,06,484.00
4	शास्त्री चौक से बर्बा बाई पास तक स्थित ग्रीन बेल्ट का सुधार एवं सुन्दरीकरण का कार्य।	28,06,839.00
5	बर्बा बाईपास से राम गोपाल चौराहे तक स्थित ग्रीन बेल्ट का सुधार एवं सुन्दरीकरण का कार्य।	52,45,075.00
6	जोन-2 के अन्तर्गत सी.ओ.डी. नाले से आवास विकास हंसपुरम् तक स्थित ग्रीन बेल्ट का सुधार एवं सुन्दरीकरण का कार्य।	69,44,935.00
7	नीर-क्षीर चौराहे से सब्जी मण्डी तिराहा तक एवन मार्केट काकादेव में स्थित ग्रीन बेल्ट का सुधार एवं सुन्दरीकरण का कार्य।	9,33,348.00
8	ग्रीन बेल्टों में वृक्षारोपण का कार्य	29,51,405.00
9	जोन-5 वार्ड 93 गोविन्द नगर के अन्तर्गत बी.एस.ए. पार्क का सुधार कार्य।	9,21,160.00
10	जोन-5 वार्ड 98 गोविन्द नगर में मकान नं०-126/जे/57 ए के सामने स्थित पार्क का सुधार कार्य।	16,68,687.00
11	जोन-6 वार्ड 61 लाजपत नगर के अन्तर्गत रामलीला पार्क में लैण्ड स्केपिंग का कार्य।	9,32,038.00
12	जोन-6 वार्ड 61 के अन्तर्गत रामलीला पार्क में शौचालय निर्माण एवं अन्य सुधार का कार्य।	4,72,333.00
13	जोन-5 वार्ड 64 पनकी ई ब्लॉक के अन्तर्गत बरगद वाला पार्क का सुधार कार्य।	8,02,252.00
14	जोन-6 के अन्तर्गत नवशील धाम में मकान नं०-13 के पीछे स्थित पार्क का सुधार एवं पाथवे निर्माण का कार्य।	8,02,662.00
15	जोन-6 वार्ड 20 के अन्तर्गत भारत माता उद्यान का सुधार एवं पाथवे निर्माण का कार्य।	10,09,290.00
16	जोन-5 वार्ड 69 आई ब्लॉक गुजैनी स्थित पार्क का सुधार कार्य।	9,85,400.00
17	जोन-5 वार्ड 69 जे ब्लॉक गुजैनी में स्थित रामलीला पार्क का सुधार कार्य।	14,58,270.00
18	जोन-5 वार्ड 52 रतन लाल के अन्तर्गत उधम सिंह पार्क में पाथवे निर्माण एवं सुधार का कार्य।	6,01,850.00
19	जोन-6 वार्ड 32 के अन्तर्गत गोवा गार्डन स्थित पार्क का निर्माण एवं सुधार कार्य।	7,52,395.00
	योग:-	4,28,81,569.00

उपरोक्त सन्दर्भित कार्ययोजना में कार्य को शासन की मंशा के अनुरूप नागरिकों को स्वच्छ व हरित वातावरण उपलब्ध कराने एवं पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः उपरोक्त कार्य हेतु शासन से स्वीकृति की प्रत्याशा में आगणन धनांक रु. 4,28,81,569.00 की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के साथ ही निविदा मांगे जाने की अनुमति एवं इस हेतु मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष मा. सदन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि 09 नं० क्रासिंग के पास ग्रीन बेल्ट विकसित की जाये।

नगर आयुक्त ने कहा कि अगर कोई प्रस्ताव है तो दे सकते हैं।

सभापति ने कहा कि उपरोक्त का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है अगर कोई प्रस्ताव हो तो नगर आयुक्त के कथनानुसार इनको दे दे साथ ही नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि इसी प्रकार ऐतिहासिक स्थलों को भी विकसित किया जाये।

..... स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या-720

संयुक्त सचिव, नगर विकास अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को प्रेषित पत्र संख्या: डी/310/न0आ0./मु0अ0 दिनांक 29.09.14 से सम्बन्धित मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव सूचनार्थ / विचारार्थ प्रेषित।

:- प्रस्ताव -

नया सवेरा विकास योजना के अन्तर्गत कानपुर नगर में निचली गंगा नहर के दायें किनारे के किलोमीटर 208.800 के मध्य छठ पूजा एवं सौन्दर्यीकरण हेतु घाट के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में शासन के पत्र सं० आरएफ 528/नौ-9-2014-60आरएफ/14 दिनांक 26 सितम्बर, 2014 के क्रम में धनराशि रु० 670.36 लाख की योजना स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

..... पढ़ा गया।

प्रस्ताव संख्या-721

नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/890/अ0अ0-3/ दिनांक 20.12.2014 के द्वारा नगर निगम की अधिनियम की धारा 132(3) के अन्तर्गत स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

:- प्रस्ताव -

जोन-3 वार्ड 88 कर्रही के अन्तर्गत बर्रा विश्व बैंक के-1 ब्लॉक में स्थित पार्क का नामकरण स्व० मनीष कटियार जो जल सेना में कार्यरत थे जो पनडुब्बी जहाज के अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण मृत्यु हो गयी थी, के नामकरण हेतु मा० पार्षद श्रीमती रानू बाजपेई के द्वारा माँग की गयी, जिसपर नगर आयुक्त द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त स्थल का निरीक्षण किया गया। स्थल पर के०डी०ए० द्वारा हस्तान्तरित पार्क है, पार्क में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं है। पार्क का निर्माण कार्य कराने के साथ साथ पार्क का नामकरण स्व० मनीष कटियार के नाम करने हेतु मा० कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति के उपरान्त कराया जा सकता है।

अतः प्रश्नगत पार्क का निर्माण कार्य कराने के साथ साथ पार्क का नामकरण स्व० मनीष कटियार के नाम करने हेतु मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

..... नामकरण समिति परीक्षणोंपरान्त प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव संख्या-722जलकल विभाग नगर निगम कानपुरप्रस्ताव

मीटर युक्त जल सम्पूर्ति प्रणाली लागू किये जाने तथा जल के उपयोग के आधार पर जल मूल्य/प्रयोक्ता प्रभार के लागू किये जाने के संदर्भ में प्रमुख सचिव नगर विकास उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-2758/9-2-2009-95सा0/08 दिनांक-22.12.2009 द्वारा निर्देश प्रसारित किये गये थे। शासन के उक्त दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत सात मिशन शहरों में पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु योजना स्वीकृत करते हुये वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गई थी। उक्त योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार रिफार्म एजेण्डा के तहत स्थानीय स्तर पर प्रस्तावित सुधारों को लागू किये जाने है, जिसके अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर पेयजल की निरन्तरता बनाये रखने एवं जल के अपव्यय को रोकने की दृष्टि से मीटर युक्त संयोजन/प्रयोक्ता प्रभार की दरें निर्धारित किया जाना है। प्रस्तावित सुधारों के तहत जलापूर्ति के संचालन, अनुरक्षण, विद्युत व्यय, अधिष्ठान व्यय आदि सम्पूर्ण व्ययों की धनराशि प्रयोक्ता प्रभार से समायोजित किये जाने का उक्त शासनादेश में निर्देश है। तत्पश्चात शासन के निर्देशों के अनुपालन में समय-समय पर जल मूल्य की दरों का आंकलन निदेशालय को प्रस्तुत किया गया है। दरों का निर्धारण करते हुये यह प्राविधानित किया गया है, कि कम आय वर्ग/जल की कम खपत वाले उपभोक्ताओं को जलापूर्ति 1.2 कि0ली0 तक प्रतिमाह उपयोग किये जाने पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी। 1.2 कि0ली0 से 8 कि0ली0 प्रतिमाह तक जलापूर्ति लागत से कम दरों पर प्रस्तावित की गई है। 8 कि0ली0 प्रतिमाह से अधिक उपयोग पर दरों में लागत के अनुरूप वृद्धि एवं कास सब्सीडी लागत से कम दरों में प्रतिपूर्ति हेतु दरों के संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रकार अल्प आय वर्ग/जल के कम उपयोग किये जाने वाले नागरिकों को जलापूर्ति कम दर पर एवं अधिक उपयोग पर अधिक दर का प्रस्ताव है जिससे जल अपव्यय पर अंकुश लग सकेगा। वाल्यूमेट्रिक जल मूल्य की प्रस्तावित प्रति किलो लीटर दरें घरेलू जल संयोजनों रू0 360/- वार्षिक कर निर्धारण के वर्तमान न्यूनतम प्रभार दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। वर्तमान में लागू जलमूल्य/प्रयोक्ता प्रभार की दरों का संशोधन/पुनर्निर्धारण सचिव उ0प्र0 शासन की अति महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता शासनादेश संख्या-11300/नौ-2-14-95-सा/2014 दिनांक-02.09.2014 के अनुपालन में जलमूल्य/न्यूनतम प्रभार/ जलापूर्ति/सीवर का प्रस्तावित टैरिफ निर्देश क्रम में निदेशालय को प्रेषित किया गया है, मा0 कार्य कारणी समिति के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

जलमूल्य/न्यूनतम प्रभार की प्रस्तावित पुनरीक्षित दरें-2014

1. घरेलू दर प्रतिकिली (उपयोग मात्रा के अनुसार)		
मात्रा किली/प्रतिमाह	वर्तमान दर	प्रस्तावित दर
0-1.2	4.57	0.00
1.2-2	4.57	6.50
2-4	4.57	7.75
4-6	4.57	8.75

6-8	4.57	10.00
8-10	4.57	12.00
10-12	4.57	14.50
> 12 (से अधिक)	4.57	18.50
अघरेलू	—	30.00
बहुखण्डीय भवनो जिनमें 20 फ्लैट तक एक जल संयोजन -		
मात्रा किली/प्रतिमाह	वर्तमान दर	प्रस्तावित दर
100 किली तक	—	18.00
100-200	—	25.00
200 से अधिक	—	30.00
20 फ्लैट से अधिक बहुखण्डीय भवनो पर प्रत्येक 20 फ्लैट के ब्लाक के अनुरूप अतिरिक्त देय होगा। उक्त दरे प्रत्येक जल संयोजन के लिये प्रथक देय होगी।		

जलमूल्य/न्यूनतम प्रभार की प्रस्तावित पुनरीक्षित दरे-2014

जल परिव्यय की दरे

2. घरेलू जल न्यूनतम प्रभार, वार्षिक मूल्यांकन एवं जल संयोजन पाइप साइज के आधार पर						
सम्पत्ति का वार्षिक मूल्यांकन	वर्तमान दरे			प्रस्तावित दरे		
	15 एम0एम0	20 एम0एम0	25 एम0एम0	15 एम0एम0	20 एम0एम0	25 एम0एम0
रू0 0-360	799	1370	1857	800	1500	2050

रू0 361-2000	1370	1591	2391	1520	1750	2630
रू0 2001-3500	1754	2631	4093	1950	2900	4500
रू0 3501-5000	2338	3362	4760	2810	3700	5750
रू0 5001-10000	2923	4385	5846	3510	5300	7050
रू0 10001-20000	2923	4385	5846	4100	6600	9000
रू0 20000 से अधिक	2923	4385	5846	6250	9000	12000

3. घरेलू जल न्यूनतम प्रभार, कर निर्धारण रहित एवं जल संयोजन पाइप साइज के आधार पर -

भवन का क्षेत्रफल वर्ग मी०	वर्तमान दरे			प्रस्तावित दरे		
	15 एम०एम०	20 एम०एम०	25 एम०एम०	15 एम०एम०	20 एम०एम०	25 एम०एम०
0-30	1170	4385	5846	1300	1850	2600
31-75	1462	4385	5846	1600	2400	3200
76-100	1462	4385	5846	1750	2625	3500
101-150	1462	4385	5846	1900	2850	3800
151-200	1462	4385	5846	2400	3600	4800
200 से अधिक	1462	4385	5846	3600	5400	7200

4.

अघरेलू (दर प्रति किली०)	वर्तमान दर	प्रस्तावित दर
-------------------------	------------	---------------

(I)	विशेष श्रेणी एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान होटल, लाज, डेरी, लान्ड्री, सर्विस स्टेशन, गैराज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, कल कारखाने, नर्सिंग होम, गेस्ट हाउस, प्रतिष्ठान जहां जल का उपयोग सामग्री रूप में हो— कोल्ड स्टोरेज, आईसक्रीम/बर्फ फैक्ट्री, बाटलिंग प्लाट, केमिकल उद्योग, बाग बगीचे, नर्सरी व समय-समय पर अधिसूचित अन्य प्रतिष्ठान अस्थाई अघरेलू जैसे टूरिंग थियेटर, नाटक, सर्कस, मेला, प्रदर्शनी आदि भवन निर्माण, परिवर्तन/परिवर्धन।	24.36	30.00
(II)	अन्य व्यवसायिक – रेस्टोरेन्ट, सिनेमा, माल, पेट्रोल पम्प, वाणिज्यक प्रतिष्ठान आदि।	14.62	18.00
(III)	विशेष श्रेणी अन्य व्यवसायिक के अतिरिक्त सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थागत प्रतिष्ठान।	8.82	12.00
(IV)	मिश्रित श्रेणी – ऐसे परिवार जिसमें व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकाने आदि है, किन्तु जल का उपयोग नहीं है।	8.82	12.00
(V)	छावनी बोर्ड।	7.67	8.50
(VI)	म्यूनिसिपल कार्यों हेतु।	4.57	8.50

5-	अघरेलू जल संयोजन हेतु संशोधित न्यूनतम जलमूल्य प्रभार (रु0 प्रतिमाह)																
	जल उपयोग श्रेणी/विवरण	पाइप साइज (एम0एम0 में)															
		15		20		25		40		50		80		100		150	
	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित	
(I)	विशेष श्रेणी एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान दर रु0 30 प्रति किली0	974	1225	1462	1800	2436	2700	4872	5400	9744	10800	19488	22000	29232	33000	38976	49500
(II)	अन्य व्यवसायिक दर रु0 18 प्रति किली0	731	925	1096	1390	1827	2100	3654	4200	7308	8400	14816	17000	21924	25500	29232	38250

(III)	विशेष एवं अन्य व्यवसायिक के अतिरिक्त सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं संस्थागत प्रतिष्ठान दर रु0 12 प्रति किली0	244	320	365	550	609	825	1218	1650	2436	3300	4872	6600	7308	9900	9744	14900
(IV)	मिश्रित श्रेणी दर रु0 12 प्रति किली0	244	320	365	550	609	825	1218	1650	2436	3300	4872	6600	7308	9900	9744	14900
(V)	छावनी बोर्ड दर रु0 8.50 प्रति किली0	183	230	292	345	365	520	731	1040	914	2080	2192	4100	2923	6150	7308	9225
(VI)	म्यूनिसिपल कार्य दर रु0 8.50 प्रति किली0	98	120	146	180	195	270	390	540	487	1080	1170	2200	1462	3300	3654	4950
(VII)	निर्माण कार्य/परिवर्तन परिवर्द्धन दर 30 किली0	<p>1. नक्से के आधार पर प्रस्तावित निर्मित क्षेत्रफल अथवा नक्शा न होने पर भूखण्ड के 70% क्षेत्रफल पर तथा प्रत्येक तल हेतु आच्छादित क्षेत्रफल पर रु0 60 प्रति वर्ग मी0 की दर से एक मुश्त न्यूनतम निर्माण जल मूल्य देय होगा।</p> <p>2. निर्माण कार्य हेतु जल संयोजन की तिथि के एक वर्ष पश्चात जल के उपयोग के प्रयोजन के अनुरूप न्यूनतम प्रभार की दर से जलमूल्य देय होगा। एक वर्ष में निर्माण पूर्ण न होना अथवा वार्षिक मूल्यांकन न होने की दशा में कर निर्धारण रहित सम्पत्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रभार दर से जलमूल्य देय होगा।</p>															

6-	द्वितीय या अधिक जल संयोजन पर न्यूनतम प्रभार जलमूल्य की दरे— परिसर/भवन में एक से अधिक जल संयोजन दिये जा सकते हैं। द्वितीय या तत्पश्चात संयोजन पर जल परिव्यय की दरें एवं न्यूनतम प्रभार की दरे प्रयोजन के अनुसार उक्तवत् बिन्दु 1-5 के आधार पर होगी।
----	---

7- मीटर किराया – (प्रतिमाह रू0)									
क्र0सं0	मीटर आकार (एम0एम0)			वर्तमान		प्रस्तावित			
1	15			12.18		15			
2	20			14.62		22			
3	25			19.48		30			
4	40			24.36		50			
5	50			36.54		75			
6	80			48.72		100			
7	100			73.08		150			
8	150			97.44		200			
8- विकास शुल्क									
क्र0सं0	विवरण	विकास शुल्क (जल) प्रतिवर्ग मी0 रू0 में		न्यूनतम प्रभार		विकास शुल्क सीवर प्रतिवर्ग मी0 रू0 में		न्यूनतम प्रभार	
		वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित
1.	दो तल तक	25.62	30.00	2562	3000	25.62	30.00	2562	3000
		भूखण्ड क्षेत्रफल पर							
2.	दो तल से अधिक	25.62	30.00	2562	5000	25.62	30.00	2562	5000
		भूखण्ड क्षेत्रफल पर +20+12.80 दो तल से अधिक निर्मित क्षेत्रफल पर							

3.	भवन जिनका कर निर्धारण पांच वर्ष में हुआ हो एवं जल संयोजन प्रथमतः लिया जा रहा हो।	-	20.00 निर्मित क्षेत्रफल पर	-	2000	-	20.00 निर्मित क्षेत्रफल पर	-	2000
4.	भवन जिनका कर निर्धारण पांच वर्ष पूर्व हुआ हो, जल संयोजन प्रथमतः लिया जा रहा हो।	-	10.00 निर्मित क्षेत्रफल पर	-	1000	-	10.00 निर्मित क्षेत्रफल पर	-	1000
* बेसमेन्ट, स्टिल्ट, मैजनाइन एवं भूतल अलग-अलग माने जायेगे।									

9- सीवर संयोजन न्यूनतम प्रभार –

सीवर संयोजन न्यूनतम प्रभार जलमूल्य/न्यूनतम प्रभार के 25% की दर से देय होगा या प्रति सीवर सीट प्रतिमाह रू0 50 की दर से जो अधिक होगा।

वर्तमान दर	प्रस्तावित दर
25% जलमूल्य/न्यूनतम प्रभार का या रू0 457 प्रति सीवर सीट प्रतिवर्ष जो अधिक होगा।	25% जलमूल्य/न्यूनतम प्रभार का या रू0 600 प्रति सीवर सीट प्रतिवर्ष जो अधिक होगा।

10- जल उच्छिष्ट (डिस्पोजल) न्यूनतम प्रभार –

ऐसे भवन/व्यवसायिक इकाईयों, शासकीय अद्धशासकीय संस्थागत प्रतिष्ठान जो वैकल्पिक जल स्रोत जैसे ट्यूबवेल, समर्सिबल/जेट बोरिंग से भूजल का उपयोग कर रहे हैं, द्वारा सीवर कर या निम्नानुसार जल उच्छिष्ट प्रभार जो अधिक हो देय होगा—

- (I) सरकारी/अद्धसरकारी/संस्थागत/अन्य परिसर/प्रतिष्ठान जिसमें जल संयोजन है अथवा नही वैकल्पिक भूजल का उपयोग कर रहे हैं। अच्छिष्ट जल परिव्यय कुल जल की मात्रा का 75% होगा—

दर

वर्तमान रू0 0.50 प्रति किली0
प्रस्तावित रू0 1.00 प्रति किली0

(II) न्यूनतम प्रभार –

— अस्पताल / नर्सिंगहोम	
0–25 बेड	रू0 2000 प्रतिमाह
26–50 बेड	रू0 3000 प्रतिमाह
51–100 बेड	रू0 10,000 प्रतिमाह
100 से अधिक बेड	रू0 10,000+ प्रत्येक अतिरिक्त 25 बेड ब्लाक पर रू0 3000 प्रतिमाह
— होटल / गेस्ट हाउस / लाज	
0–20 कमरे	रू0 2000 प्रतिमाह
21–50 कमरे	रू0 10,000 प्रतिमाह
51 कमरे से अधिक	रू0 10,000+ प्रत्येक अतिरिक्त 20 कमरे का ब्लाक पर रू0 5000 प्रतिमाह
— बैन्क्यूट हाल / विवाह मण्डप	रू0 10,000 प्रतिमाह
— सिनेमा हाल / मल्टीप्लेक्स / माल	रू0 10,000 प्रतिमाह
— सरकारी / अर्द्धसरकारी / संस्थागत	रू0 5,000 प्रतिमाह
— अन्य भवन, गैराज, वर्कशाप, डेरी आदि	रू0 5,000 प्रतिमाह

नोट—

1. घरेलू उपयोग के लिये 25एम0एम0 पाइप साइज के ऊपर के संयोजन आवास विकास परिषद, सरकारी / अर्द्धसरकारी आवासी कालोनी, आवासीय समितियों को छोड़कर अन्य को नहीं दिये जायेगे।

2. यदि किसी जल संयोजन का उपयोग घरेलू एवं अघरेलू दोनों के लिये हो रहा हो, तो ऐसे संयोजन पर जलमूल्य की दर अघरेलू प्रयोग की लागू होगी।
3. किरायेदार के लिये घरेलू संयोजन 15 एम0एम0 के ही दिये जायेंगे।
4. मीटर रीडिंग के अनुरूप जलमूल्य, न्यूनतम प्रभार जो अधिक हो देय होगा। इसी प्रकार मीटर खराब होने की दशा में न्यूनतम प्रभार या पूर्व औसत जो अधिक हो देय होगा।
5. भवन के वार्षिक मूल्यांकन के विरुद्ध एक जल संयोजन पर ही जलकर की छूट अनुमन्य होगी।
6. महगाई में वृद्धि, निर्माण एवं रख-रखाव व्यवस्था, विद्युत दरों में वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु प्रत्येक श्रेणी की दरों में 10% की वृद्धि रख-रखाव लागत के सापेक्ष प्रतिवर्ष प्रभावी होगी।
7. **सरचार्ज एवं छूट-**
 - (I) बिल निर्गत तिथि से 30 दिवस में भुगतान करने पर 10% की छूट अनुमन्य होगी।
 - (II) बिल निर्गत तिथि से 30 दिवस में भुगतान न करने पर 10% की सामयिक छूट अनुमन्य न होगी किन्तु बिल में विभागीय त्रुटि एवं तदनु रूप बिल तिथि से 30 दिवस में आपत्ति प्राप्त करा देने पर अधिकतम 30 दिवस में निस्तारण एवं त्रुटि पर छूट देय होगी।
 - (III) बिल निर्गम के 60 दिवस के उपरांत वित्तीय वर्ष में भुगतान न करने पर 10% की दर से सरचार्ज देय होगा।

Minimum Water Charge Yearly, Existing & Proposed, Increase in Demand

	0 ARV	0-360	361-2000	2001-3500	3501-5000	5001-10000	10001-20000	20001 & above
As Pr KNN Coloney	28315	24320	18671	22840	20305	38637	31645	31720
Present M/C	-	-	1370	1754	2338	2923	2923	2923
Proposed M/C	-	-	1520	1950	2810	3510	4100	6250

%/Increase	-	-	10% - 150	10% - 196	20% - 472	20% - 587	40% - 1177	100% - 3327
Incom (In Lacs)	-	-	28	45	96	227	372	1055
Total Expected Increase Yearly	1823 Lacs.							

Cost of water Impact of Rate Revision

Particulars	Present Collection Yearly (In Lacs)	% Increase	Expected Yearly Collection (In Lacs)	Yearly Increase (In Lacs)
Cantt Z-1	30	10	33	3
Zone-4	40	35	54	14
Medical				
LLR				
Police				
Radio				
Cardology/ID				
Zone-5	216	22	264	48
Ordinance				
Institution				
Panki	173	35	233	60
Others				
Total-	459		584	125

श्री धीरज सिंह, अधिशाषी अभियन्ता ने बताया कि शासन द्वारा प्रस्ताव माँगा गया है, अतः मा0 कार्यकारिणी समिति से अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार दरों की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

श्री सुहैल अहमद ने कहा कि जल निगम द्वारा अभी तक संयोजन नहीं किये जा सके हैं। अतः दरों की वृद्धि का कोई औचित्य नहीं है।
..... प्रस्ताव शासन को निर्णयार्थ भेजे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-723

श्रीमती गीता जायसवाल , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

प्रस्ताव

विषय:- फाइल नं0 177 के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि वार्ड नं0 55 क अर्न्तगत "के" ब्लाक स्थित मं0न0 128/266 से 128/249 एवं 128/302 से रामेश्वरम मन्दिर तक एवं 128/289 से 128/281 तक साइट पटरी क्षतिग्रस्त है। कृपया उपरोक्त स्थल की फाइल स्वीकृत करने का कष्ट करें।

जनहित में उपरोक्त कार्य का होना अति आवश्यक है

2. जोन-3 वार्ड 55 के अर्न्तगत के ब्लाक स्थित मं0न0 128/266 से 128/249 एवं 128/302 से रामेश्वरम मन्दिर तक एवं 128/289 से 128/281 तक साइट पटरी का सुधार कार्य। (आगणन धनांक रू0 24,75,074.00)

श्री आशुतोष त्रिपाठी ने कहा कि एक साथ इनके प्रस्ताव लगाये गये हैं, जबकि इनके क्षेत्र में नगर निगम द्वारा बहुत कार्य कराये जा चुके हैं। इनकी तुलना में किसी पार्षद के यहाँ नाम मात्र के कार्य कराये गये हैं। इस पर सदस्यों में आपसी विवाद होने लगा।

मुख्य अभियन्ता ने कहा कि मूल बजट में अभियन्त्रण खण्ड को आवंटित धनराशि में बजटीय संतुलन स्थापित रखते हुये सभी जोनों को बराबर-बराबर धनराशि आवंटित की गई है। उ0प्र0 शासन द्वारा 93 कार्य एवं 37 कार्य स्वीकृत किये गये हैं, उन कार्यों को कराया जा रहा है। पुनरीक्षित बजट जो आज स्वीकृत किया गया है, इसके पश्चात् सभी क्षेत्रों में समानता के आधार पर कार्य कराये जायेंगे।

सभापति ने बड़े दुख के साथ कहा कि ऐसी कार्यकारिणी पूर्व में कभी नहीं हुई क्योंकि अनुशासन सर्वप्रथम होता है, जिसका ध्यान आज कार्यकारिणी समिति की बैठक में नहीं रखा गया। कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्णय लिया जाता है न कि कोई शर्त रखी जाती है। इस पर व्यवस्था दी जाती है कि 110 वार्डों के कार्यों के विवरण को संज्ञान में लेते हुये समानता के आधार पर ही कार्य प्रस्तावित किये जाये। परन्तु यह भी ध्रुव सत्य है कि जहाँ अविकसित क्षेत्रों में विकास कार्यों की ज्यादा आवश्यकता होती है वहीं विकसित क्षेत्रों में उतने कार्यों की नहीं। तथापि भविष्य में गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुये सामन्जस्य बनाने का प्रयास किया जाये। जिन पार्षदों के क्षेत्र में कार्य नहीं हुये हैं, उनको दिखवा लें और तदनुसार कार्यों की प्रस्तावना दी जाये।

..... प्रश्नगत प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या-724

श्रीमती गीता जायसवाल , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

प्रस्ताव

विषय:- फाइल नं0 176 के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि वार्ड नं0 55 क अर्न्तगत के ब्लाक किदवई नगर स्थित मं0न0 128/463 से 128/452 तक एवं 128/400 से 128/409 तक साइट पटरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। कृपया उपरोक्त स्थल की फाइल स्वीकृत करने का कष्ट करे।

जनहित में उपरोक्त कार्य का होना अति आवश्यक है।

2. जोन-3 वार्ड 55 के अर्न्तगत के ब्लाक स्थित मं0न0 128/463 से 128/452 तक एवं 128/400 से 128/409 तक साइट पटरी का सुधार कार्य। (आगणन धनांक रू0 19,11,689.00)

..... स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या-725

श्रीमती गीता जायसवाल , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

प्रस्ताव

विषय:- इन्दिरा पार्क (एच ब्लाक) के तीनों तरफ इण्टरलाकिंग टाइल्स व नाली का कार्य।

अवगत कराना है कि वार्ड नं0 55 के अर्न्तगत इन्दिरा पार्क (एच ब्लाक) किदवई नगर में तीनों तरफ की सड़क, नाली फुटपाथ क्षतिग्रस्त है। इस क्षेत्र की फाइल बन चुकी है। फाइल के अनुसार 28 लाख रुपये खर्च होना है। कृपया इस फाइल को कार्यकारिणी में स्वीकृत कराने की कृपा करें।

..... स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या-726

श्री आलोक दुबे , पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं 09 पाषर्दों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

प्रस्ताव

विषय:- मकान नम्बरो के संकेतक लगाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि कानपुर शहर में जी0आई0 के सर्वे के बाद काफी मकान नम्बर बदल गये है तथा प्रायः लोग मकान नम्बर ढूँढते नजर आ जाते है। इससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यदि जनहित में यथाशीघ्र गली के प्रारम्भ में मकान नम्बरों के संकेतक लग जाये तो यह कार्य जनहित में होगा।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-727

श्री जितेन्द्र सचान , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

प्रस्ताव

विषय:- जोन-3 वार्ड 80 बर्ग-2 सेक्टर-4 में एम0आई0जी0 53 से एम0आई0जी0 84 ए तक सड़क फुटपाथ व नाली का सुधार कार्य।

परिवर्तित स्थल

विषय:- जोन-3 वार्ड 80 बर्ग के अन्तर्गत बर्ग-2 जय श्रीकृष्णा पार्क के चारो तरफ नाली सड़क एवं फुटपाथ का सुधार कार्य।

वार्ड 80 बर्ग के अन्तर्गत 93 कार्यों मे से क्रमांक 46 का कार्य अवस्थापना निधि द्वारा स्वीकृति किया जा चुका है। उसी अवशेष धनराशि से परिवर्तित स्थल जय श्री कृष्णा पार्क के चारो तरफ नाली सड़क एवं फुटपाथ का सुधार कार्य जनहित में कराया जाना आवश्यक है।

कृपया उपरोक्त कार्य स्वीकृति प्रदान करने की कृपा कर

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-728

श्री हाजी सुहैल अहमद, पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं 29 पार्षदों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर

विचार करना:-

प्रस्ताव

विषय:-नगर निगम सदन से 74 वॉ संशोधन पास कर राज्य सरकार को भेजे जाने के सम्बन्ध में।

हम पार्षदगण आपसे विनम्र निवेदन करते है कि सदन से 74 वॉ संशोधन जिसके कुछ हिस्से कानपुर में लागू किये जा चुके है और बाकी की लागू को लेकर हम नगर निगम के सदन से 74वॉ संशोधन पारित कर शासन को भेजे। शासन में आज तक कानपुर नगर निगम से प्रस्ताव पास करके जब नही भेजा गया है तो शासन कैसे विचार करेगा।

अतः महोदय जी इस सदन में 74वॉ संशोधन सर्वसम्मत से पारित कर शासन को भेजने का कष्ट करें जिससे कानपुर की मूलभूत समस्याओं का निवारण हो सके। 74 वॉ संशोधन के तमाम पार्ट ऐसे है जो लागू नही हुये और कुछ लागू है इसलिये सदन सर्वसम्मत से मांग करता है कि 74 वॉ संशोधन लागू करने हेतु नगर निगम अपना प्रस्ताव शासन को भेजे व मेरे प्रस्ताव को सदन के ऐजेण्डे में शामिल करें। हम सब पार्षद आपके सदा आभारी रहेगें।

सभापति ने कहा कि वर्ष 1990-91 में तत्कालीन केन्द्र सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय निकायों को सुदृढता प्रदान करने हेतु 74वॉ संविधान संशोधन पारित किया गया था, जो देश के कुछ प्रांतों में यथा केरल, पश्चिम बंगाल आदि प्रांतों में लागू कर दिया गया है परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज तक उसका अमल नही किया गया है, जो भी प्रादेशिक सरकारें थी, उनने प्रजातंत्र का गला घोंटा है, क्योंकि प्रजातंत्र/लोकतंत्र के तीन स्तम्भ कार्य पालिका, विधायिका एवं

न्यायपालिका है, जो एक दूसरे के पूरक भी है। इन तीनों में किसी की अनदेखी होने से प्रजातंत्र कमजोर होता है। अतः प्रश्नगत प्रस्ताव जो 74वाँ संविधान संशोधन को पूर्ण रूप से लागू किये जाने से सम्बन्धित है, को प्रबल संस्तुति के साथ उ0प्र0 शासन को नगर आयुक्त द्वारा प्रेषित किया जाये।

..... नगर निगम में 74वाँ संविधान संशोधन लागू किये जाने हेतु सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये उ0प्र0 शासन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या-729

श्री आशुतोष त्रिपाठी , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

प्रस्ताव

विषय:- विकास कार्यों को गुणवत्ता पूर्ण करवाने एवं भ्रष्टाचार में अंकुश लगाने हेतु।

आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि मा0 नगर आयुक्त द्वारा पेमेन्ट (भुगतान) के दौरान विभिन्न कार्यों में जांच करवाने में यदि जनता के पैसे से हो रहे विकास कार्यों में अनियमितार्ये पाये जाने पर ठेकेदारों को काली सूची में डालने के साथ साथ उस कार्य की पेमेन्ट फाइल बनाने वाले सुपरवाइजर, जे०ई०, ए०ई०, अधि०अभि०, मु० अभियंता,, अपर नगर आयुक्त समेत सभी लोक सेवक जिन्होंने फाइल को आगे बढ़ाने का कार्य किया हो विभागीय कार्यवाही वित्तीय अनिमित्तार्यों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करवाने की कृपा करें।

यदि अपराध ठेकेदार का है कि उसने कार्य में भ्रष्टाचार किया है तो अपराध भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिये लोक सेवको का भी है।

अतः समान रूप से नियमों का पालन करवा भ्रष्टाचार को जड़ से खतम करने के आदेश दें।

नगर आयुक्त ने सदस्यों को अवगत कराया कि कार्यों की गुणवत्ता एवं मानक के दृष्टिगत मेरे द्वारा समय-समय पर निरीक्षण/पर्यवेक्षण किया जा रहा है तथापि कोई शिकायत हो तो मेरे संज्ञान में लाई जाये, तदनुसार जाँच कर मा0 महापौर जी को अवगत कराया जायेगा।

सभापति ने भी कहा कि यदि कोई विशेष प्रकरण हो तो बताया जाये क्योंकि साक्ष्यों एवं तथ्यों के बिना शिकायत निराधार होती है।

..... नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या-730

श्री आशुतोष त्रिपाठी , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

प्रस्ताव

विषय:- जनता के करोड़ों रूपये से बने रैन बसेरो को चलाने हेतु नियामवली बनाने के संन्दर्भ में।

नगर निगम में करोड़ों रूपये खर्च कर रैन बसेरे बनाये, जो बद-इंतजामी के शिकार है ओर हद तो तब पार हुई जब संज्ञान में आया कि कुछ माफिया इसका प्रयोग देह व्यापार के लिये कर रहे है। रैन वसेरे बनाने के उद्देश्य थे कि बिना छत के निर्बल लोगों को छत उपलब्ध करावाई जाये पर करोड़ों खर्च कर हम अपने उद्देश्य मे सफल न हो पाये।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उ०प्र० अधिनियम 1959 में कार्यकारिणी को मिले नियम बनाने के अधिकार के तहत अति शीघ्र नियमावली बना कर जनहित किया जाये और सामाजिक कुरीति को रोका जाये।

नगर आयुक्त ने कहा कि संज्ञान में लाया गया है, कार्यवाही की जायेगी।
..... निरीक्षणोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या-731

श्री आशुतोष त्रिपाठी , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

प्रस्ताव

विषय:- नगर निगम गेस्ट हाउस (मोतीझील) के पीछे नगर निगम अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये बने आवासो को जर्जर होने के कारण गिराकर पुनः बनवाने हेतु।

कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। शरीर स्वस्थ तभी रह सकता है जब गन्दगी रहित सुरक्षित आवास हो परन्तु परिसर में बने आवासो की मियाद खतम होने के साथ साथ जर्जर हो चुके है जिसके कारण लोक सेवको को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और आवश्यक अधिकारियों को मुख्यालय से दूर आवास होने के कारण कार्य करने में सुगमता भी नहीं होती है। कार्य के ठीक से न होने का सीधे खामियाजा जनता को उठाना पड़ता है।

अतः जनहित एवं शहर के विकास के लिये जर्जर आवासो को तोड़कर नये आवास जो कि बहुमंजिले भी हो सकते है बनावाने का कष्ट करे। मा० महापौर जी का आवास भी परिसर में होना आवश्यक है।

..... निरीक्षण कर तदनुसार आख्या प्रस्तुत की जाये।

प्रस्ताव संख्या-732

श्री आशुतोष त्रिपाठी , पार्षद द्वारा प्रस्तुत एंव 11 पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

प्रस्ताव

विषय:- जनहित में लोक सेवको से सम्पर्क स्थापित करने हेतु सभी पार्षदो को मोबाइल और सी०यू०जी० कनेक्सन दिलवाने हेतु।

जनहित के कार्यों हेतु पार्षदो का लोक सेवको के सम्पर्क में रहना नितान्त आवश्यक है। कभी नेटवर्क ठीक न होने के कारण और बहुत से निर्बल आय वर्ग के पार्षदो द्वारा पैसे न होने के कारण जनता के कार्यों हेतु लोक सेवको से सम्पर्क नहीं हो पाता जिसके कारण जनता को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारा दायित्व है कि जनता को बेहतर सुविधायें दे और जनहित में गति लाये।

अतः सभी पार्षदों को पूर्व की भाँति सी०यू०जी० कनेक्सन दिये जाये।

सभापति ने सदस्यों को अवगत कराया कि इसके सम्बन्ध में तत्कालीन नगर आयुक्त श्री एन.के.सिंह चौहान से सहमति बन चुकी थी, परन्तु उनका स्थानान्तरण हो गया। अतः इस पर पुनः विचार कर लिया जाये।

..... नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या-733

श्री आशुतोष त्रिपाठी , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

प्रस्ताव

विषय:-सीसामऊ डिस्पेन्सरी जो कि जर्जर हो चुकी है उसे तोड़कर नया अस्पताल बनाया जाये जो कि नगर निगम की है।

आपसे निवेदन है कि नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा-112 ख की " आवश्यक सेवाओं " में सर्वप्रथम (क)- "चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें " आती है। धारा 406 में रोगों का निवारण एवं उसकी रोकथाम के विषय में भी हमें काम करने हेतु बताया गया है परन्तु यदि हमारे पास कोई समुचित अस्पताल ही नहीं होगा तो यह कार्य करना असम्भव होगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि बजट की धारा 146(2)-छ में " नगर के निर्धन व्यक्तियों के लिये बजट की व्यवस्था करना" के तहत भी हमारा कर्तव्य है कि हम जनहित में इस स्थान पर जर्जर हो कर खतम् हो चुकी डिस्पेन्सरी को गिराकर अस्पताल का निर्माण शीघ्र करवाने की कृपा करें। यदि संसाधनों अथवा व्यक्तियों के अभाव में इसे चला न पाने के कारण अस्पताल न बनाये जा रहे हो तो मेरे संज्ञान में संस्थायें एवं सी०एम०ओ० स्तर के रिटायर्ड लोग इसे निशुल्क चलाने हेतु तैयार है।

..... परीक्षण के उपरान्त आख्या अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करें ।

प्रस्ताव संख्या-734

श्रीमती सरोजनी यादव , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

प्रस्ताव

विषय:- वार्ड 62 बर्रा -8 में खाली पड़ी 2400 वर्ग मी० जमीन पर बारातशाला/दुकानें/स्वास्थ्य केन्द्र/ बाउन्ड्री वाल करारकर नगर निगम अपने कब्जे में रखने के सम्बन्ध में।

सादर अवगत कराना है कि हमारे वार्ड के अन्तर्गत बर्रा 8 बी ब्लॉक में लगभग 2400 वर्ग मी० जमीन खाली पड़ी है जिसमें दिन प्रतिदिन कब्जा होता जा रहा है। यदि उक्त जमीन पर नगर निगम द्वारा बारातशाला/दुकानें/स्वास्थ्य केन्द्र/ बाउन्ड्री वाल करा दे तो नगर निगम की आय में वृद्धि होगी व नगर निगम द्वारा खाली पड़ी जमीन पर अपना (नगर निगम का) कब्जा हो जायेगा।

अतः श्रीमान जी प्रस्ताव दे रही हूँ कृपया मा० कार्यकारिणी में सम्मिलित कराकर उक्त जमीन पर बारातशाला व कुछ और बनावाने का कष्ट करें।

..... अतिक्रमण हटवाकर तदनुसार कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या-735

श्रीमती सरोजनी यादव , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा० महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

प्रस्ताव

विषय:- वार्ड 62 के अन्तर्गत बर्रा 8 सी ब्लॉक पानी टंकी के समीप वार्ड कार्यालय/डम्प हाउस बनाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

सादर अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारे वार्ड के अन्तर्गत वार्ड कार्यालय व डम्प हाउस नहीं है यदि बर्षा 8 सी ब्लॉक पानी टंकी के समीप वार्ड कार्यालय/डम्प हाउस बनाने हेतु प्रस्ताव दे रही हूँ।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि मा0 कार्यकारिणी में सम्मिलित कराकर बनवाने का कष्ट करें।

..... निरीक्षणोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या-736

श्रीमती सरोजनी यादव , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

प्रस्ताव

विषय:- सड़क का स्थल परिवर्तन के सम्बन्ध में।

कृपया सादर अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारे वार्ड के अन्तर्गत बर्षा -8 डबल रोड से सी ब्लॉक पेट्रोल पम्प के पीछे की सड़क की स्वीकृति नगर निगम द्वारा हुयी है जो बन चुकी है।

अतः श्रीमान् जी से सादर निवेदन है कि उक्त सड़क के स्थल परिवर्तन हेतु प्रस्ताव दे रही हूँ जिसमें स्थल परिवर्तन कर बर्षा-8 बी ब्लॉक म0न0 385 से 695 पार्क के पास से प्रेम लाल स्कूल वाली सड़क को शामिल कर बनवाने का कष्ट करें।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-737

श्रीमती सरोजनी यादव , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

प्रस्ताव

विषय:- सड़क का स्थल परिवर्तन के सम्बन्ध में।

सादर अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारे वार्ड के अन्तर्गत बर्षा 8 डी ब्लॉक ओरियण्टल बैंक के पास की सड़क कानपुर नगर निगम द्वारा स्वीकृति की गयी है परन्तु कुछ दिन पूर्व सड़क बन चुकी है।

श्रीमान् जी से सादर निवेदन है कि उक्त सड़क के स्थल परिवर्तन कर विश्व बैंक डी ब्लॉक पार्क के चारो ओर की सड़क को शामिल कर बनवाने का कष्ट करें

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-738

श्री सुनील कनौजिया , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

प्रस्ताव

विषय:- वार्ड 236 के अर्न्तगत मं0नं0 133/771 से मनोरमा मार्केट तक सड़क, फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य।(सड़क का स्थल परिवर्तन) के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक कार्य की स्वीकृति शासन से प्राप्त हो चुकी है एवं माननीय कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जिसके क्रम में अभियंत्रण खण्ड -3 द्वारा निविदा आमंत्रित कर स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है, किन्तु उक्त विषयक कार्य के0डी0ए0 द्वारा काराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त विषयक कार्य का स्थल परिवर्तन माननीय कार्यकारिणी समिति द्वारा कराते हुये उक्त कार्य " हनुमान मन्दिर के सामने एम ब्लॉक से जंगली देवी मन्दिर

तक" सड़क फुटपाथ एवं नाली सुधार/मरम्मत का कार्य कराने हेतु आदेश निर्गत करने की कृपा करे।
..... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-739

श्री आलोक दुबे , पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं 07 पार्षदों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

प्रस्ताव

विषय:- मन्दिरों में चढ़ने वाले पुष्प/माले इत्यादि कूड़े के ढेरों में फेंकने पर भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ ।

अवगत कराना है कि प्रतिदिन मन्दिरों में जो फूल मालायें इत्यादि भगवान के ऊपर श्रद्धापूर्वक चढ़ाये जाते हैं वो थोड़ी देर बाद सड़क में कूड़े के ढेर के ऊपर फेंक दिये जाते हैं इससे मन्दिरों में आने वाले भक्तों की आस्था को गहरा आघात लगता है यदि उक्त फूल/माले नगर निगम की गाड़ियों जोनवार सप्ताह में 2 दिन लेकर इन्हे भूविर्सक कर दें तो यह कार्य जनहित में होगा तथा भक्तों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचेगी। माननीय यथाशीघ्र कार्य योजना बनाकर इस प्रस्ताव पर अमल कराने का कार्य जनहित में करें। इससे जैविक खाद भी प्राप्त हो सकती है।

सभापति ने कहा कि चूँकि सनातन धर्म की आस्था से जुड़ा प्रकरण है, इसलिये अवगत कराना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन के पश्चात् देश आजाद हुआ, जिसके प्रथम प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू एवं प्रथम राष्ट्रपति डा0 राजेन्द्र प्रसाद जी थे। सोमनाथ मन्दिर के जीर्णोद्धार हेतु महात्मा गाँधी ने अपनी इच्छा व्यक्त की जिस पर प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति द्वारा सरकारी धनराशि से जीर्णोद्धार कराने की बात कही गई, तो महात्मा गाँधी ने नकारते हुये कहा कि धर्म के मामले में सरकारी धन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये। उनके कथनानुसार कि क्या इस धर्म के अनुयायी इतने निर्धन हो गये हैं और आस्थाओं की दृढ़ता के कारण भक्तों द्वारा सोमनाथ मन्दिर का जीर्णोद्धार हुआ। अतः मेरी भी राय है कि इसके लिये भी भक्तगण स्वयं नीति निर्धारित कर लें तो उचित होगा। नगर निगम से नहीं किया जाना चाहिये।

..... स्थल चयनित कर विसर्जित पूजन सामग्री हेतु गाड़ी खड़ी करा दी जाये।

प्रस्ताव संख्या-740

श्रीमती जानकी वर्मा , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

प्रस्ताव

विषय:- सुजात गंज वार्ड 95 में शुलभ शौचालय के सम्बन्ध में।

आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि सुजातगंज में पुलिस चौकी के आगे शुलभ शौचालय बना हुआ है। काफी पुराना है। उसकी सीटे एवं सीवर टैंक ध्वस्त हो चुका है। पानी गन्दा रोड पर बहाया जाता है जिससे रोड भी खराब हो रही है। इसको किसी एजेन्सी द्वारा पुनः अच्छा सा बनवाने एवं उसकी देखरेख के लिये कोई दूसरा कर्मचारी रखने का कष्ट करें।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-741

श्रीमती जानकी वर्मा , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

प्रस्ताव

विषय:- बारात शाला बनवाने के सम्बन्ध में।

आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि वार्ड 95 चन्दारी सुजातगंज में अन्सारी मैरिज हाज के पीछे लगभग एक हजार गज की जगह खाली पड़ी है जो कि नगर निगम की है। अभी कुछ दिन हुये सरकारी पानी टंकी का निर्माण हुआ है। बाकी खाली जगह में बारातशाला बनवाने का कष्ट करें जिससे कि गरीब मलिन बस्ती के लोगो की बेटियों एवं बेटे की शादी करने में मदद मिल सके। जनहित में अति आवश्यक कार्य है

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-742

श्री कमल शुक्ल बेबी , पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं 08 पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो नगर आयुक्त महोदय द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

प्रस्ताव

संलग्न प्रार्थना पत्र को अवलोकन करने काष्ट कर, इंदिरा नगर क्षेत्र श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पर बसा हुआ है। अतः आदर्श पार्क इंदिरा नगर में इंदिरा जी की मूर्ति लगवाने का आदर्श पारित कार्यकारिणी द्वारा करवाने का कष्ट करें।

संलग्न प्रार्थना पत्र/प्रेस नोट

आज दिनांक 19.11.2014 को प्रातः 11 बजे कल्यानपुर क्षेत्र के इन्दिरा नगर - आदर्श पार्क में पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसीजन एवं नागरिक उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में श्रीमती गांधी के व्यक्तित्व, कृतित्व, अदम्य साहस, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, अनुशासन, राष्ट्रीयता व राजनैतिक गुणों पर सर्वश्री सियाराम पाल प्रतिनिधि राजाराम पाल,

पूर्व सांसद, भूधर नारायण मिश्र, पूर्व विधायक, अभिजीत सिंह सांगा, जिलाध्यक्ष, ग्रामीण-नगर कांग्रेस कमेटी, कमल शुक्ल बेबी, नेता सभासद दल कांग्रेस आदि कांग्रेसीजनों ने प्रकश डाला। इस अवसर पर सर्वसम्मति से निम्न प्रस्ताव भी पारित किया गया।

” इन्दिरा नगर क्षेत्र श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम पर बसा हुआ है। इस क्षेत्र में श्रीमती गांधी की कोई भी प्रतिमा स्थापित नहीं है। अतः सर्वसम्मति से प्रस्ताव हुआ है कि आदर्श पार्क इन्दिरा नगर में पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी की प्रतिमा शीघ्र ही स्थापित की जावे। इस सम्बन्ध में नगर निगम व जिला प्रशासन को इस प्रस्ताव के माध्यम से मूर्ति स्थापना की कार्यवाही की मांग की गई।”

..... मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या-743

श्रीमती तेज कौर, अध्यक्षा, आल इण्डिया वूमेन्स कान्फ्रेंस, महिला पार्क, सरसैयाघाट, कानपुर शाखा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:-

प्रस्ताव

विषय:- चुन्नीगंज (भैंसा गोदाम) में संचालित विद्यालय हेतु प्रार्थना पत्र।

विनम्र निवेदन है कि आज आल इण्डिया वूमेन्स कान्फ्रेंस कानपुर शाखा बच्चों के हितार्थ कार्यरत समाज सेवी संस्था है। संस्था द्वारा आपके सामुदायिक केन्द्र चुन्नीगंज जो कि सामाजिक कार्य हेतु प्रदान किया जाता है। केन्द्र में मलिन बस्ती के बच्चों को शिक्षित करने हेतु लगभग 35 वर्षों से स्कूल चलाया जा रहा है। हमारे स्कूल में 3 वर्ष की आयु से 7 वर्ष की आयु तक के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य गरीब असहाय बच्चों को शिक्षित कर स्वावलम्बी बनाना है। यह भी समाज सेवा का कार्य है।

अतः महोदय जी आपसे प्रार्थना है कि उक्त स्कूल को चलाने हेतु सामुदायिक केन्द्र, चुन्नीगंज के भवन के आवंटित करने का आदेश पारित करें जिससे बच्चों की शिक्षा अवरुद्ध न होने पाये। आपकी महान दया होगी।

..... नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 129(3) में निहित प्राविधानों के तहत स्वीकृति प्रदान कर शासन को संदर्भित किया गया।

प्रस्ताव संख्या-744

-: प्रस्ताव :-

कानपुर महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में नगर निगम की रिक्त भूमि जो निष्प्रयोज्य सम्पत्ति के रूप में उपलब्ध है। इस प्रकार की भूमि पर अवैध कब्जेदार स्वयं अतिक्रमण कर लाभान्वित हो रहे हैं परन्तु नगर निगम को कुछ भी राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है। उक्त के दृष्टिगत पूर्व में स्थल चिन्हांकित करते हुये आवासीय/व्यवसायिक भूखण्डों हेतु स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। तत्क्रम में जूही स्थित स्व0 रतनलाल शुक्ल इण्टर कालेज के पास, गाँधी स्मारक स्कूल के पीछे, ए0एन0डी0 कॉलेज, हर्षनगर के पीछे नगर निगम की रिक्त भूमि एवं स्वरूप नगर स्थित घण्टाघर भवन, जो अत्यन्त जर्जर अवस्था में है, को गिराते हुये एवं अवैध कब्जेदारों को हटाकर इन चारों रिक्त स्थानों को पीपीपी मॉडल पर आवासीय/व्यवसायिक रूप में विकसित किये जाने हेतु कन्सल्टेंट नियुक्त किये जाने की मा0 कार्यकारिणी समिति से स्वीकृति अपेक्षित है।

कृपया मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष उपरोक्तानुसार प्रस्ताव स्वीकृत्यर्थ प्रस्तुत है।

सभापति ने बताया कि ए.एन.डी. के पीछे डूडा द्वारा छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है तथा श्रीरत्न शुक्ल इण्टर कालेज, जूही के सम्बन्ध में पूर्व में शासन का प्रस्ताव जो जिलाधिकारी द्वारा नगर निगम को प्रेषित किया गया था, उसके परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित एजेन्सी को प्रश्नगत स्थल आवंटित किया गया था परन्तु उनके द्वारा न ही सहमति पत्र (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किये गये, न ही अनुबन्ध कराया गया है। अतः प्रस्ताव निरस्त करते हुये प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया जाये।

..... पूर्व दिनांक 17.10.2012 को कार्यकारिणी समिति की बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव संख्या 37 को निरस्त करते हुये प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-745

कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्ताव

प्रस्ताव

डा० सुनील तनेजा, अध्यक्ष, द स्पास्टिक सेन्टर कानपुर के पत्र दिनांक 27.11.14 पर जिलाधिकारी, कानपुर नगर की संस्तुति दिनांक 30.11.14 एवं नगर आयुक्त, नगर निगम के अनुमोदन दिनांक 08.01.15 के क्रम में डा० सुनील तनेजा ने नगर निगम द्वारा संचालित डा० बी०एन०भल्ला चिकित्सालय, बाबूपुरवा में स्पास्टिक सेन्टर चलाने के लिए प्रस्ताव दिया है तथा दिये गये प्रस्ताव के बिन्दु निम्नवत् हैं :-

- 01- सेन्टर को आशायें नाम से जाना जायेगा।
- 02- यह सेन्टर नगर निगम, कानपुर और स्पास्टिक सेन्टर, फूलबाग के सहयोग से चलाया जायेगा।
- 03- सेन्टर को सुचारू रूप से चलाये जाने के लिए भवन की मरम्मत नगर निगम, कानपुर करायेगा, साथ ही नगर निगम निःशुल्क पानी व बिजली की सुविधा उपलब्ध करायेगा और समय-समय पर मरम्मत और देखरेख भी नगर निगम द्वारा की जायेगी।
- 04- स्पास्टिक सेन्टर का संचालन बच्चों से बिना कोई शुल्क लिए किया जायेगा, जबकि यदि आवागमन के लिए सेन्टर के वाहन का प्रयोग किया जाता है तो इसके लिए नाम मात्र का शुल्क लिया जायेगा।
- 05- सेन्टर शुरुआत में केवल फिजियोथिरेपी की सुविधा उपलब्ध करायेगा, स्पाटिक बच्चों को बाद में सेन्टर व्यापक देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था स्थापित करेगा।
- 06- सेन्टर का सुचारू संचालन क्रमशः मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर, नगर आयुक्त और अध्यक्ष/सचिव स्पाटिक सेन्टर की एक समिति के अर्न्तगत किया जायेगा।
- 07- शुरुआत में यह अनुबन्ध तीन वर्ष के लिए होगा और आगे बढ़ाने का निर्णय उपरोक्त समिति द्वारा लिया जायेगा।

- 08- किन्ही कारणवश यदि कोई पक्ष अनुबन्ध से हटना चाहता है तो 03 माह का नोटिस दिया जाना होगा, कोई आर्थिक दायित्व स्वीकार नहीं किया जायेगा।
09. सेन्टर के संचालन के लिए स्पाटिक सेन्टर कुछ अन्य सामाजिक संस्थाओं या एन0जी0ओ0 से फण्ड की व्यवस्था के लिये सहयोग ले सकता है। नगर निगम अधिनियम अधिनियम 1959 की धारा 129 में निशुल्क किसी भी नगर निगम की सम्पत्ति को किसी भी व्यक्ति एवं संस्था को दिये जाने का प्राविधान नहीं है तथा किराये पर नियमानुसार 12 माह तक नगर निगम सम्पत्ति को दिया जा सकता है। अधिक अवधि के लिये देने हेतु शासन से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

अतः सम्पूर्ण प्रकरण मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

..... निर्णय लिया गया कि चूँकि निःशुल्क नहीं दिया जा सकता अतः उत्तर प्रदेश शासन को सन्दर्भित किया जाये।

प्रस्ताव संख्या-746

नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/173/ न.आ./प्रोजेक्ट-सेल /14-15 दिनांक 30.12.14 के क्रम में मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव सूचनार्थ प्रेषित।

:- प्रस्ताव -:

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के यू.आई.जी. कार्यान्वयन के अन्तर्गत कानपुर नगर की पेयजल योजना पार्ट-1 (इनर ओल्ड एरिया) शासनादेश संख्या: 5433/नौ-5-2014-60सा /2011 नगर विकास अनुभाग-5, दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 के क्रम में कानपुर नगर की पूर्व स्वीकृत पेयजल योजना पार्ट-1 (मूल परियोजना लागत रु. 27095.00 लाख) को पुनरीक्षित करते हुए लागत रु. 34080.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसके अनुसार बढ़ी हुई लागत रु. 5313.13 लाख राज्य सरकार द्वारा 70 प्रतिशत रु. 3719.19 लाख तथा निकाय को 30 प्रतिशत रु. 1593.94 लाख वहन किया जाना है। निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय उ.प्र. लखनऊ के पत्र संख्या: पी.एम.यू./7264/124-(5)/जे.एन.एन.यू.आर.एम. दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 के माध्यम से राज्यांश के सापेक्ष रु. 3719.10 लाख को अवमुक्त किया जा चुका है, जिसका भुगतान कार्यदायी संस्था बैराज इकाई उ.प्र. जल निगम को किया जाना है। इस हेतु बैराज इकाई द्वारा उक्त धनराशि को उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध भी किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार राज्यांश के रूप में प्राप्त धनराशि रु. 3719.10 लाख को बैराज इकाई उ.प्र. जल निगम के पक्ष में अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 30.12.2014 को प्रदान की गयी है, जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... पढ़ा गया।

प्रस्ताव संख्या-747

नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/174/ न.आ./प्रोजेक्ट-सेल /14-15 दिनांक 30.12.2014 के क्रम में मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव सूचनार्थ प्रेषित।

:- प्रस्ताव -:

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के यू.आई.जी. कार्यान्वयन के अन्तर्गत कानपुर नगर की पेयजल योजना पार्ट-1 (इनर ओल्ड एरिया) शासनादेश संख्या: 5433/नौ-5-2014-60सा /2011 नगर विकास अनुभाग-5, दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 के अनुसार कानपुर नगर की स्वीकृति पेयजल योजना पार्ट-1 (मूल परियोजना लागत रु. 27095.00 लाख को पुनरीक्षित करते हुए लागत रु. 34080.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसके अनुसार बढ़ी हुई लागत रु. 5313.13 लाख में से राज्य सरकार द्वारा 70 प्रतिशत रु. 3719.19 लाख तथा निकाय को 30 प्रतिशत रु. 1593.94 लाख वहन किया जाना है। जिसे नगर निगम द्वारा अपने स्रोतों से उक्त धनराशि रु. 1593.94 लाख वहन किया जाना सम्भव नहीं है। जनहित में शहर के जलापूर्ति कार्य सुदृढीकरण हेतु आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार के नया सवेरा विकास योजनान्तर्गत रिवाल्विंग फण्ड से ब्याज रहित ऋण प्राप्त किया जा सकता है। जिसकी स्वीकृति हेतु हेतु मा. कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा. सदन के विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

..... पढ़ा गया।

प्रस्ताव संख्या-748

नगर आयुक्त के पत्र संख्या: डी/171/ न.आ./प्रोजेक्ट-सेल /14-15 दिनांक 30.12.14 के क्रम में मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव सूचनार्थ प्रेषित।

:- प्रस्ताव -:

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के यू.आई.जी. कार्यान्वयन के अन्तर्गत कानपुर नगर की सीवरेज योजना पार्ट-1 (इनर ओल्ड एरिया) शासनादेश संख्या: 6344/नौ-5-14-60सा /2011 दिनांक 07 नवम्बर, 2014 के क्रम में कानपुर नगर की पूर्व स्वीकृत सीवरेज योजना पार्ट-1 (मूल परियोजना लागत रु. 19088.22 लाख) को पुनरीक्षित करते हुए लागत रु. 24830.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसके अनुसार बढ़ी हुई लागत रु. 5741.74 लाख जिसमें रु. 2754.00 लाख सेन्ट्रल चार्ज भी सम्मिलित है, को राज्य सरकार द्वारा 70 प्रतिशत रु. 4019.25 लाख तथा निकाय को 30 प्रतिशत रु. 1722.53 लाख वहन किया जाना है। निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय उ.प्र. लखनऊ के पत्र संख्या: पी.एम.यू. 1162/124(5)/जे.एन.एन.यू.आर.एम. दिनांक 28.11. 2014 के माध्यम से राज्यांश के सापेक्ष रु. 2091.45 लाख को अवमुक्त किया जा चुका है, जिसका भुगतान कार्यदायी संस्था महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ.प्र. जल निगम को किया जाना है। इस हेतु महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई द्वारा उक्त धनराशि को उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध भी किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार राज्यांश के रूप में प्राप्त धनराशि रु. 2091.45 लाख को महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई उ.प्र. जल निगम के पक्ष में अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 30.12.2014 को प्रदान की गयी है, जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... पढ़ा गया।

प्रस्ताव संख्या-749

मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित

क्रम सं०	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/ फर्म का नाम	निर्णय
1	जोन-4 वार्ड 65 के अन्तर्गत मकान नं० 106/105 से 106/402 तक फुटपाथ पर इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं नाली सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	9,91,216.00	9,30,454.00	आगणन दर से 6.13 प्रतिशत निम्न	मे० अतुल कुमार सिंह	पढ़ा गया
2	जोन-4 वार्ड 65 के अन्तर्गत प्रेम नगर बारातशाला के द्वितीय तल पर फाइबर शेड का निर्माण कार्य।	राज्य वित्त आयोग	6,85,687.00	6,85,344.15	आगणन दर से 0.05 प्रतिशत निम्न	मे० अतुल कुमार सिंह	पढ़ा गया
3	जोन-4 वार्ड 11 के अन्तर्गत बालाजी चौक से भदौरिया चौराहे तक फुटपाथ पर इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने तथा नाली का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	9,71,788.00	8,64,989.00	आगणन दर से 10.99 प्रतिशत निम्न	मे० जी० एस० कान्स्ट्रक्शन	पढ़ा गया
4	जोन-4 वार्ड 107 के अन्तर्गत दादामियाँ हाता की गलियों का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार कार्य।	मलिन बस्ती	6,07,263.00	6,06,048.47	आगणन दर से 0.20 प्रतिशत निम्न	मे० सना कान्स्ट्रक्शन कम्पनी	पढ़ा गया
5	जोन-4 वार्ड 11 के अन्तर्गत भदौरिया चौराहे से जी०टी० रोड तक फुटपाथ पर इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने तथा नाली का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	11,15,809.00	9,93,181.00	आगणन दर से 10.99 प्रतिशत निम्न	मे० अंकित एण्ड एसोसिएट्स	पढ़ा गया
6	जोन-4 वार्ड 76 के अन्तर्गत अस्पताल घाट रेलवे लाईन से लालू यादव, डॉ० अम्बेडकर मूर्ति तक गली का इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं नाली सुधार कार्य। परिवर्तित स्थल - जोन-4 वार्ड 76 के अन्तर्गत करबला मैदान के पास व हाजी मुन्सिफ अली रिज़वी वाली गली में इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सड़क सुधार व करबला मैदान के पास स्टेप्स बनाये जाने का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	6,93,933.00	6,92,532.71	आगणन दर से 0.12 प्रतिशत निम्न	मे० अली एण्ड सन्स कान्स्ट्रक्शन	पढ़ा गया
7	जोन-4 वार्ड 78 के अन्तर्गत मकान नं० 105/722 से 105/559 एवं 105/493 से 105/497 तक गली का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार एवं जल निकासी का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	8,24,782.00	8,23,957.00	आगणन दर से 0.10 प्रतिशत निम्न	मे० एफ० आर० इण्टरप्राइजेज	पढ़ा गया
8	जोन-4 वार्ड 107 के अन्तर्गत अमीनगंज अहाता 97/99 से 97/62 एवं 97/20 से 97/51, 97/208 से 97/217 एवं 97/197 से 97/278 की गलियों में जल निकासी पाइप डालने का कार्य।	मलिन बस्ती	7,46,129.00	7,46,122.00	आगणन दर से 0.001 प्रतिशत निम्न	मे० एस० ए० बिल्डर्स	पढ़ा गया
9	जोन-4 वार्ड 78 के अन्तर्गत मकान नं० 105/16 से 105/54 तक एवं 105/37 से 105/41 तक एवं इनके मध्य की गली का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	6,07,770.00	6,06,554.46	आगणन दर से 0.20 प्रतिशत निम्न	मे० एफ० आर० इण्टरप्राइजेज	पढ़ा गया

10	जोन-4 वार्ड 05 के अन्तर्गत 96/21 सिद्दकी मियाँ हाता में इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं जल निकासी का कार्य।	विधायक निधि	6,45,659.00	6,45,529.87	आगणन दर से 0.02 प्रतिशत निम्न	मे0 राज किशोर	पढ़ा गया
11	जोन-4 वार्ड 06 के अन्तर्गत ईदगाह के सामने कस्तूरबा स्कूल जाने वाले मार्ग के सड़क साईड पटरी पर इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं नाली सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	6,74,824.00	5,65,772.45	आगणन दर से 16.16 प्रतिशत निम्न	मे0 इकबाल अहमद	पढ़ा गया
12	जोन-4 के अन्तर्गत नगर निगम मुख्यालय स्थित गोल बिल्डिंग में नगर आयुक्त कार्यालय में मरम्मत रंगाई-पुताई एवं विद्युत संयोजन का कार्य।	कार्यालय भवन रखरखाव	8,95,818.00	8,95,818.00	आगणन दर पर	मे0 गणेश नारायण अवस्थी	पढ़ा गया
13	जोन-4 वार्ड 51 के अन्तर्गत रामकृष्ण नगर में मकान नं0 110/160 से 110/182 तक 110/176 से 110/152 तक एवं 110/159 से 110/147 तक सड़क पटरी पर इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं नाली सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	7,28,366.00	6,70,096.00	आगणन दर से 8.00 प्रतिशत निम्न	मे0 विक्रम इण्टरप्राइजेज	पढ़ा गया
14	जोन-4 वार्ड 01 के अन्तर्गत 6/33 के0डी0ए0 कालोनी जाने वाले मुख्य मार्ग की नाली एवं सड़क का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	6,24,122.00	5,24,324.90	आगणन दर से 15.99 प्रतिशत निम्न	मे0 अवि इण्टरप्राइजेज	पढ़ा गया
15	जोन-4 वार्ड 107 के अन्तर्गत नानपारा मस्जिद से लाल कुआँ तिराहा तक फुअपाथ/बालकनी का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	7,67,184.00	7,58,745.00	आगणन दर से 1.10 प्रतिशत निम्न	मे0 सना कान्स्ट्रक्शन कम्पनी	पढ़ा गया
16	जोन-4 वार्ड 41 के अन्तर्गत मकान नं0 88/140 से डॉ0 नजीर चौराहा एवं प्रशान्त नर्सिंग होम तक सी0सी0 एवं नाली मरम्मत का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	5,15,188.00	5,07,408.66	आगणन दर से 1.51 प्रतिशत निम्न	मे0 श्रीराम इण्टरप्राइजेज	पढ़ा गया
17	जोन-4 वार्ड 04 के अन्तर्गत सीसामऊ नाला के बगल में मकान नं0 12/501 से 12/515 तक सड़क का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा एवं नाली का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	7,16,620.00	7,09,454.00	आगणन दर से 1.00 प्रतिशत निम्न	मे0 सुपर कान्स्ट्रक्शन कम्पनी	पढ़ा गया
18	जोन-4 वार्ड 13 के अन्तर्गत खलासी लाईन में मकान नं0 7/17 से अविनाश ज्ञान स्कूल गली में इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं नाली सुधार का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	9,66,901.00	8,99,218.00	आगणन दर से 7.00 प्रतिशत निम्न	मे0 एच0 आर0 ट्रेडर्स	पढ़ा गया
19	जोन-4 वार्ड 06 के अन्तर्गत 9/50 नया पुरवा मलिन बस्ती एवं माली क्वार्टर में गली का इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने का कार्य।	सड़क अनुरक्षण	5,82,254.00	5,23,446.35	आगणन दर से 10.10 प्रतिशत निम्न	मे0 इकबाल अहमद	पढ़ा गया
20	जोन-4 15 एफ0एम0 कालोनी में श्री शिव बहादुर सिंह के मकान से मन्दिर तक क्षतिग्रस्त नाले की स्लैब का सुधार एवं इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	6,75,924.00	6,08,399.20	आगणन दर से 9.99 प्रतिशत निम्न	मे0 अवि इण्टरप्राइजेज	पढ़ा गया
21	जोन-4 वार्ड 05 के अन्तर्गत चुन्नीगंज हाता बी-57 से बी-39 तक इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा गली का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	5,30,047.00	5,29,569.96	आगणन दर से 0.09 प्रतिशत निम्न	मे0 शिफा कान्स्ट्रक्शन कम्पनी	पढ़ा गया
22	जोन-4 वार्ड 107 के अन्तर्गत मीना इलेक्ट्रानिक्स से चौद	राज्य वित्त	6,79,149.00	6,77,790.70	आगणन दर से	मे0 सना कान्स्ट्रक्शन	पढ़ा गया

	गारमेन्ट्स तक फुटपाथ/बालकनी का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार कार्य।	आयोग			0.20 प्रतिशत निम्न	कम्पनी	
23	जोन-4 वार्ड 41 के अन्तर्गत मकान नं0 88/41 से 88/95 के सामने तक गली में इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने तथा पाइप डालने का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	5,51,470.00	5,43,197.95	आगणन दर से 1.50 प्रतिशत निम्न	मे0 श्रीराम इण्टरप्राइजेज	पढ़ा गया
24	जोन-4 वार्ड 65 के अन्तर्गत मकान नं0 106/263बी से ज्वाला देवी रोड़ तक सड़क का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	6,26,712.00	6,95,650.32	आगणन दर से 11.00 प्रतिशत उच्च किन्तु जस्टीफिकेशन दर से 0.18 प्रतिशत निम्न	मे0 कैला देवी कान्स्ट्रक्शन	पढ़ा गया
25	जोन-4 वार्ड 78 के अन्तर्गत प्लाट नं0 5 की सड़क का एस0डी0बी0सी0 एवं फुटपाथ का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	6,65,451.00	7,15,359.82	आगणन दर से 6.50 प्रतिशत उच्च किन्तु जस्टीफिकेशन दर से 0.54 प्रतिशत निम्न	मे0 एफ0 आर0 इण्टरप्राइजेज	पढ़ा गया
26	जोन-4 वार्ड 65 के अन्तर्गत मकान नं0 106/344 से 106/246 तक सड़क का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	8,47,869.00	9,41,134.59	आगणन दर से 11.17 प्रतिशत उच्च किन्तु जस्टीफिकेशन दर से 0.17 प्रतिशत निम्न	मे0 कैला देवी कान्स्ट्रक्शन	पढ़ा गया
27	जोन-4 वार्ड 78 के अन्तर्गत मकान नं0 105/265 से 105/480 तक सड़क एवं फुटपाथ का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	6,57,335.00	7,00,061.78	आगणन दर से 0.19 प्रतिशत निम्न	मे0 एफ0 आर0 इण्टरप्राइजेज	पढ़ा गया
28	जोन-4 वार्ड 110 के अन्तर्गत अराफत हाऊस से अतीक खिचड़ी 101/142 तक इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार एवं ड्रेनेज पाइप डालने का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	9,37,757.00	9,37,757.00	आगणन दर पर	मे0 एस0 ए0 बिल्डर्स	पढ़ा गया
29	जोन-4 के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों के पैच मरम्मत हेतु एस0डी0सी0 आपूर्ति का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	9,43,000.00	9,38,285.00	आगणन दर से 0.50 प्रतिशत निम्न	मे0 डी0एल0जी0 इण्टरप्राइजेज प्रा0 लिमि0	पढ़ा गया
30	जोन-4 वार्ड 41 के अन्तर्गत प्रेम नगर चौराहा से सीसामऊ बड़ा चौराहा तक कर्व स्टोन द्वारा नाली सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	9,11,017.00	8,09,803.00	आगणन दर से 11.11 प्रतिशत निम्न	मे0 सत्या कान्स0 कम्पनी	पढ़ा गया
31	जोन-4 वार्ड 110 के अन्तर्गत 101/290 से मीनामन शिवाला तक इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सड़क सुधार एवं ड्रेनेज पाइप डालने का कार्य।	विधायक निधि	8,37,691.00	7,12,037.00	आगणन दर से 15.00 प्रतिशत निम्न	मे0 अशोक कुमार परासर	पढ़ा गया
32	जोन-4 वार्ड 41 के अन्तर्गत मकान नं0 88/528 से सैय्यद बाबा मजार तक फुटपाथ पर इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं नाली सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	9,93,370.00	8,54,299.00	आगणन दर से 14.00 प्रतिशत निम्न	मे0 योगेश कुमार पाण्डेय	पढ़ा गया
33	जोन-4 वार्ड 13 के अन्तर्गत तिलक नगर गर्ल्स इण्टर कालेज	विद्यालय	7,77,224.00	6,60,640.00	आगणन दर से 15.	मे0 अवि	पढ़ा गया

	की मुख्य बिल्डिंग की छत की ब्रिक कोबा द्वारा मरम्मत एवं रंगाई-पुताई का कार्य।	भवन मरम्मत			00 प्रतिशत निम्न	इण्टरप्राइजेज	
34	जोन-4 वार्ड 76 सूटरगंज के अन्तर्गत विक्टोरिया मिल पुल से दुर्गा पूजा पार्क होते हुए वी0आई0पी0 रोड तक ट्रेन्च मरम्मत का कार्य।	सड़क क्षति के सापेक्ष	6,97,737.00	6,97,737.00	आगणन दर पर	मे0 शाह ट्रेडिंग कारपोरेशन	पढ़ा गया
35	जोन-4 वार्ड 41 के अन्तर्गत नगर निगम कब्रिस्तान में बेंच तथा शेड का निर्माण कार्य।	राज्य वित्त आयोग	6,83,104.00	6,82,763.00	आगणन दर से 0.05 प्रतिशत निम्न	मे0 सेवन स्काई	पढ़ा गया
36	जोन-4 वार्ड 65 के अन्तर्गत कालपी रोड से ज्वाला देवी चौक तक फुटपाथ पर इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं नाली सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	8,20,278.00	8,19,868.00	आगणन दर से 0.05 प्रतिशत निम्न	मे0 अतुल कुमार सिंह	पढ़ा गया
37	जोन-4 वार्ड 65 के अन्तर्गत मकान नं0 106/246 से 106/344 तक फुटपाथ पर इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं नाली सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	7,84,685.00	7,84,293.00	आगणन दर से 0.05 प्रतिशत निम्न	मे0 अतुल कुमार सिंह	पढ़ा गया
38	जोन-4 वार्ड 65 के अन्तर्गत वनखण्डेश्वर रोड 106/40 से 106/24, 106/74बी एवं 106/39 से शर्मा मेडिकल स्टोर तक कर्व स्टोन द्वारा नाली सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	5,35,067.00	5,34,799.00	आगणन दर से 0.05 प्रतिशत निम्न	मे0 अतुल कुमार सिंह	पढ़ा गया
39	जोन-4 वार्ड 04 के अन्तर्गत सीसामऊ नाला के बगल में मकान नं0 12/515 से 12/507 तक सड़क का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	6,28,123.00	6,28,060.00	आगणन दर से 0.01 प्रतिशत निम्न	मे0 सुपर कान्स0 कम्पनी	पढ़ा गया
40	जोन-4 वार्ड 107 के अन्तर्गत हफीज हलीम मे मकान नं0 95/25 से 95/26 तक गली में इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं नाली सुधार का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	7,08,207.00	7,08,200.00	आगणन दर से 0.01 प्रतिशत निम्न	मे0 सना कान्स0 कम्पनी	पढ़ा गया
41	जोन-4 वार्ड 11 के अन्तर्गत क्रियाघर वाली रोड एवं हनुमान चाट वाली रोड का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	6,68,893.00	7,21,468.00	आगणन दर से 7.86 प्रतिशत उच्च किन्तु जस्टीफिकेशन से 3.19 प्रतिशत निम्न	मे0 कैला देवी कान्सट्रक्शन	पढ़ा गया

प्रस्ताव संख्या-750

मा0 कार्यकारिणी के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित

क्रम सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/ फर्म का नाम	निर्णय
1	जोन-4 वार्ड 49 के अन्तर्गत कृष्णा अपार्टमेन्ट से विद्या मन्दिर स्कूल के सामने तक सड़क का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	11,76,159.00	13,17,298.00	आगणन दर से 12.00 प्रतिशत उच्च किन्तु जस्टीफिकेशन की दर से 0.37 प्रतिशत निम्न	मे0 डेल्टा इरेक्टर्स प्रा0लि0	स्वीकृत

2	जोन-4 वार्ड 11 के अन्तर्गत मकान नं0 104ए/192 एवं 104ए/227 से 104ए/197 (स्टेट बैंक वाली सड़क) तक सड़क का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	9,86,310.00	11,07,132.98	आगणन दर से 12.25 प्रतिशत उच्च किन्तु जस्टीफिकेशन दर से 0.22 प्रतिशत निम्न	मे0 कैला देवी कान्स्ट्रक्शन	स्वीकृत
3	जोन-4 वार्ड 01 के अन्तर्गत 5/435 सुरेश के घर से 5/405 गुड्डू के घर होते हुए 24 क्वार्टर तक गली का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार कार्य।	सड़क अनुरक्षण	12,43,759.00	12,37,540.00	आगणन दर से 0.50 प्रतिशत निम्न	मे0 एफ0 आर0 इण्टरप्राइजेज	स्वीकृत
4	जोन-4 वार्ड 01 के अन्तर्गत पुरान कानपुर में गंगा रोड से बारी घाट तक गली का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार कार्य।	सड़क अनुरक्षण	11,30,037.00	11,24,387.00	आगणन दर से 0.50 प्रतिशत निम्न	मे0 एफ0 आर0 इण्टरप्राइजेज	स्वीकृत
5	जोन-4 वार्ड 11 के अन्तर्गत मकान नं0 104ए/01 से एक्सप्रेस बाइक शाप तक फुटपाथ पर इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने तथा नाली का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	12,81,820.00	10,89,560.00	आगणन दर से 10.999 प्रतिशत निम्न	मे0 एन0 एस0 ट्रेडर्स	स्वीकृत
6	जोन-4 वार्ड 11 के अन्तर्गत आर्य समाज धर्मार्थ चिकित्सालय से एक्सप्रेस बाइक शाप तक फुटपाथ पर इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने तथा नाली का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	12,33,226.00	10,48,254.00	आगणन दर से 10.999 प्रतिशत निम्न	मे0 एन0 एस0 ट्रेडर्स	स्वीकृत
7	जोन-4 वार्ड 01 के अन्तर्गत 6/36 रानी का बगीचा स्थित मलिन बस्ती में गली एवं सीढ़ी का सुधार कार्य।	मलिन बस्ती	13,20,440.00	13,13,838.00	आगणन दर से 0.50 प्रतिशत निम्न	मे0 एफ0 आर0 इण्टरप्राइजेज	स्वीकृत
8	जोन-4 वार्ड 01 पुराना कानपुर के अन्तर्गत मन्नीपुरवा तथा सरयू पुरवा में फुटपाथ तथा सड़क का सुधार कार्य।	मलिन बस्ती	12,16,377.00	12,10,295.00	आगणन दर से 0.50 प्रतिशत निम्न	मे0 एफ0 आर0 इण्टरप्राइजेज	स्वीकृत
9	जोन-4 वार्ड 49 के अन्तर्गत तिलक नगर में पाम कोट अपार्टमेन्ट से गैस्ट्रोलीवर तक नाली, फुटपाथ एवं सड़क का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	12,48,497.00	14,04,559.12	आगणन दर से 12.00 प्रतिशत उच्च किन्तु जस्टीफिकेशन दर से 0.50 निम्न	मे0 अभिषेक इण्टरप्राइजेज	स्वीकृत
10	जोन-4 वार्ड 01 के अन्तर्गत पुराना कानपुर में रतन रेसीडेन्सी अपार्टमेन्ट से सृष्टि अपार्टमेन्ट मोड तक सड़क का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	12,13,434.00	11,95,232.00	आगणन दर से 1.50 प्रतिशत निम्न	मे0 जगदम्बा इण्टरप्राइजेज	स्वीकृत
11	जोन-4 वार्ड 41 के अन्तर्गत रामेश्वर मन्दिर से सीसामऊ बड़ा चौराहा तक फुटपाथ पर इण्टरलाकिंग टाइल्स एवं नाली मरम्मत का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	14,89,272.00	12,65,881.00	आगणन दर से 15.00 प्रतिशत निम्न	मे0 अशोक कुमार परासर	स्वीकृत
12	जोन-4 वार्ड 22 के अन्तर्गत उत्कर्ष अकेदमी से केनरा बैंक तक सड़क का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	11,73,184.00	12,08,379.00	आगणन दर से 3.00 प्रतिशत उच्च किन्तु जस्टीफिकेशन से 8.20 प्रतिशत निम्न	मे0 डेल्टा इरेक्टर्स प्रा0 लिमि0	स्वीकृत

13	जोन-4 वार्ड 49 के अन्तर्गत चाट चौराहा से रतन एम0आर0आई0 तक सड़क का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	14,95,620.00	14,88,142.00	आगणन दर से 0.50 प्रतिशत निम्न	मे0 जगदम्बा इण्टरप्राइजेज	स्वीकृत
14	शीत लहर के दौरान अलाव जलवाने हेतु लकड़ी की आपूर्ति लिए जाने का कार्य।		13,50,000.00	10,62,000.00	आगणन दर से रू0 160.00 प्रति कुन्तल निम्न	मे0 एल0 के0 इण्टरप्राइजेज	स्वीकृत
15	जोन-4 वार्ड 65 के अन्तर्गत पी0 रोड से एल0 रोड तक हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	सड़क अनुरक्षण	14,90,876.00	14,37,354.00	आगणन दर से 3.59 प्रतिशत निम्न	मे0 डी0एल0जी0 इण्टरप्राइजेज प्रा0 लिमि0	स्वीकृत
16	जोन-4 वार्ड 76 सूटरगंज के अन्तर्गत एपीफेनी स्कूल से लाल इमली रोड तक गली का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	13,19,630.00	11,48,078.00	आगणन दर से 13.00 प्रतिशत निम्न	मे0 अजय कुमार दीक्षित	स्वीकृत
17	जोन-4 वार्ड 65 के अन्तर्गत मकान नं0 106/211 से गाँधी चौक एवं एल0 रोड से लक्ष्मण पार्क और राम पार्क के दोनों ओर फुटपाथ पर इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं नाली का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	11,77,593.00	11,77,004.00	आगणन दर से 0.05 प्रतिशत निम्न	मे0 अतुल कुमार सिंह	स्वीकृत
18	जोन-4 वार्ड 65 के अन्तर्गत वनखण्डेश्वर रोड 106/40 से 106/24, 106/74बी एवं 106/39 से शर्मा मेडिकल स्टोर तक सड़क का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	11,85,553.00	11,43,940.00	आगणन दर से 3.51 प्रतिशत निम्न	मे0 डेल्टा इरेक्टर्स प्रा0 लिमि0	स्वीकृत

प्रस्ताव संख्या-751

मा0 कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा0 सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित आगणन स्वीकृति में

क्रम सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/ फर्म का नाम	निर्णय
1	जोन-4 वार्ड 76 के अन्तर्गत भवन सं0 11/71 से 11/299 तक सड़क का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	22,75,467.00				स्वीकृत प्रदान कर सदन को अग्रसारित किया गया
2	जोन-4 वार्ड 13 के अन्तर्गत खलासी लाईन में तिलक नगर स्कूल से केस्को कालोनी तक सड़क का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा एवं नाली निर्माण कार्य।	राज्य वित्त आयोग	22,08,171.00				स्वीकृत प्रदान कर सदन को अग्रसारित किया गया
3	जोन-4 वार्ड 65 के अन्तर्गत प्रेम नगर स्कूल की दुकानों के ऊपर प्रथम तल पर बारातशाला का निर्माण कार्य।	अन्य भवनों का रखरखाव	27,83,757.00				स्वीकृत प्रदान कर सदन को अग्रसारित किया गया

प्रस्ताव संख्या-752**मा0 कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा0 सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित
निविदा स्वीकृति में**

क्रम सं०	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/ फर्म का नाम	निर्णय
1	जोन-4 वार्ड 65 के अन्तर्गत प्रेम नगर स्कूल की दुकानों के ऊपर प्रथम तल पर बारातशाला का निर्माण कार्य।	अन्य भवनों का रखरखाव	27,83,757.00	32,01,320.00	आगणन दर से 15.00 प्रतिशत उच्च किन्तु जस्टीफिकेशन दर से 0.41 प्रतिशत निम्न	मे० अतुल कुमार सिंह	स्वीकृत प्रदान कर सदन को अग्रसारित किया गया
2	जोन-4 वार्ड 41 के अन्तर्गत हरसहाय स्कूल की रोड के पीछे नगर निगम की खुली भूमि पर बारातशाला का निर्माण कार्य (केवल भूमितल)	भवन मरम्मत/अनुरक्षण	24,59,410.00	24,59,410.00	आगणन दर पर	मे० श्रीराम इण्टरप्राइजेज	स्वीकृत प्रदान कर सदन को अग्रसारित किया गया

प्रस्ताव संख्या-753**मा0 कार्यकारिणी समिति व मा0 सदन के माध्यम से मा0 शासन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित
आगणन स्वीकृति में**

क्रम सं०	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/ फर्म का नाम	निर्णय
1	जोन-4 वार्ड 110 के अन्तर्गत नीली पोश रोड पर खुली भूमि पर दुकानें व बारातशाला का निर्माण कार्य।	—	63,44,886.00				स्वीकृत प्रदान कर सदन को अग्रसारित किया गया

सभापति ने सदस्यों से कहा कि कुछ प्रस्ताव मुझे टेबुल किये गये हैं, कृपया इन पर भी विचार कर लिया जाये।

टेबुल प्रस्ताव संख्या-754

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी "धीरू" द्वारा प्रस्तुत एवं अन्य पार्षदों द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :-

अवगत कराना है कि स्व० पं० मदन मोहन मालवीय जी, जो कि एक प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वाराणसी हिन्दू विश्व विद्यालय के संस्थापक तथा एक प्रमुख समाज सेवी रहे हैं, जिन्हें मरणोपरान्त विगत दिनों भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है।

अतः मेरा प्रस्ताव है कि उनके सम्मान में गुरुदेव पैलेस चौराहा से गंगा बैराज तक के मार्ग का नामरण भारत रत्न स्व० पं० मदन मोहन मालवीय के नाम से किये जाने हेतु प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

..... चूँकि गुरुदेव पैलेस से चिड़िया घर तिराहे के मार्ग का नामकरण पूर्व से रागेन्द्र स्वरूप मार्ग है, अतः चिड़िया घर तिराहे से गंगा बैराज तक के मार्ग को भारत रत्न स्व० पं० मदन मोहन मालवीय के नाम से नामकरण किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

टेबुल प्रस्ताव संख्या-755

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी "धीरू" द्वारा प्रस्तुत एवं अन्य पार्षदों द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :-

अवगत कराना है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मा० अटल बिहारी बाजपेयी जी जिन्हें विगत दिनों भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। मा० बाजपेई जी का कानपुर महानगर से गहरा नाता रहा है, इसको दृष्टिगत रखते हुये मेरा प्रस्ताव है कि मेरे वार्ड से गुजरने वाले मार्ग 09 नम्बर क्रासिंग से नमक फ़ैक्ट्री चौराहा तक के मार्ग का नामकरण भारत रत्न मा० अटल बिहारी बाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर करने हेतु प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

टेबुल प्रस्ताव संख्या-756

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी "धीरू" द्वारा प्रस्तुत एवं अन्य पार्षदों द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :-

अवगत कराना है कि स्व० विष्णु स्वरूप मिश्रा जिनका समाजिक क्षेत्र में काफी योगदान रहा, जिसके कारण उनकी पहचान सार्वजनिक जीवन में प्रमुख समाजसेवी के रूप में रही है। विगत दिनों उनका आकस्मिक निधन हो गया है।

अतः मेरा प्रस्ताव है कि उनके सामाजिक जीवन को दृष्टिगत रखते हुये मेरे वार्ड के अन्तर्गत व उनके निवास के निकट स्थित पार्क जिसके निर्माण की पत्रावली स्वीकृत हो चुकी है, उक्त पार्क का नाम स्व० विष्णु स्वरूप मिश्रा पार्क करने हेतु मेरा प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

टेबुल प्रस्ताव संख्या-757

श्री आलोक दुबे, पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं अन्य पार्षदों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :-

विशय :- अशोक नगर डाकखाने वाले चौराहे का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद्, प्रमुख समाजसेवी स्व० पं० राम अवतार तिवारी के नाम पर करने हेतु। महोदय,

सादर निवेदन है कि स्व० पं० राम अवतार तिवारी जो कि जनपद के अग्रणी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जिन पर कानपुर नगर ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश एवं राष्ट्र को स्वतंत्रता के यज्ञवेदी पर दी गई आहूति पर गर्व है। स्व० राम अवतार तिवारी जी को, पूर्व प्रधानमंत्री स्व० इन्दिरा गाँधी द्वारा बड़ा सम्मान एवं आदर प्राप्त था एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्व० राजीव गाँधी जी उन्हें राष्ट्र गौरव के नाम से आदर देते थे।

स्व० तिवारी जी के अथक प्रयासों के द्वारा ही जनपद के सुन्दरतम कमला नेहरू पार्क एवं उसमें कमला नेहरू जी की मूर्ति का लोकार्पण भी हुआ, जिस समारोह की अध्यक्षता स्व० राजीव गाँधी जी द्वारा की गई थी।

स्व० तिवारी जी को महान शिक्षाविद् भी कहा गया। आप जनपद के अग्रणी शिक्षा केन्द्र पूर्णादेवी खन्ना इण्टर कालेज, हीरालाल खन्ना इण्टर कालेज, हरसहाय विद्यालय, माँ कस्तूरबा इण्टर कालेज आदि समितियों के चेयरमैन भी रहे। आप बालिकाओं की शिक्षा एवं समाज में उचित सम्मान हेतु सदैव प्रयासरत रहे।

आपके द्वारा शिक्षा हेतु प्रतिवर्ष क्षेत्र के विद्यालयों में 20 छात्र एवं छात्राओं के शुल्क, पुस्तकें एवं ड्रेस की प्रतिपूर्ति की गयी जो अनवरत है।

स्व० तिवारी जी श्रेष्ठ समाजसेवक एवं जन सहयोगी रहे। आपने 1984 के दंगों में सिक्ख समाज की भरपूर मदद एवं सुरक्षा की तथा उनकी देखभाल की। आपके द्वारा क्षेत्र के काली मन्दिर 80 फिट रोड का जीर्णोद्धार एवं पुनः निर्माण कराया गया। आप जनपद ही नहीं वरन् अन्य क्षेत्रों में भी अनेकानेक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के गरिमामय पदों को सुशोभित करते रहे। आप क्षेत्र में डाकखाने खुलवाने हेतु प्रयासरत रहे और आपके ही प्रयासों से डाकखाना भी खुला। आप नगर एवं क्षेत्र की अनेको रामलीला कमेटी के चेयरमैन एवं संरक्षक रहे। आप अशोक नगर दुर्गा पूजा कमेटी एवं जवाहर नगर दुर्गा पूजा कमेटी के चेयरमैन एवं संरक्षक रहे। आप 80 फिट रोड व्यापार मण्डल के चेयरमैन एवं जनपदीय ईट-भट्टा एसोसियेशन के अध्यक्ष तथा महाशिव काली माता मन्दिर समिति के अध्यक्ष भी रहे।

आपको 1984 में सिक्ख समाज की रक्षा एवं मदद हेतु तत्कालीन पंजाब सरकार द्वारा सम्मानित किया गया एवं भारत सरकार ने इस कार्य हेतु प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इसी कार्य हेतु कानपुर नगर के तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा विशाल समारोह में सम्मानित किया गया। आप क्षेत्र में धर्म सहिष्णुता एवं सेवाभाव की चलती फिरती प्रतिमूर्ति माने गये।

आपके उदार भावों के द्वारा प्रतिवर्ष गरीब कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक मदद मुक्तहस्त से प्रदान की गयी। आप सभी जाति एवं धर्म के बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा एवं उन्नति हेतु सदैव तन-मन-धन से सहायता हेतु तत्पर रहे। आप पर्यावरण के मित्र भी थे, आपके द्वारा 1000 संकल्पित वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया, जो आज वटवृक्ष का विशाल रूप धारण कर चुके हैं। आपके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम की कई रोचक घटनाओं एवं जानकारियों को विभिन्न पत्र एवं पत्रिकाओं द्वारा समय-समय पर प्रकाशित भी कराया जाता रहा है। आपका समाज, राष्ट्र एवं शिक्षा के प्रति समर्पण का भाव समाज सदैव गर्व एवं सम्मान के साथ स्मरण करता रहेगा एवं प्रेरणा प्राप्त करता रहेगा।

हम समस्त क्षेत्रीय नागरिक महान समाजसेवी शिक्षाविद् एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व० पं० राम अवतार तिवारी जी की स्मृतियों एवं कृत्यों को बनाये रखने एवं आने वाली पीढ़ियों को प्रदान करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं कि 80 फिट रोड अशोक नगर के डाकखाने चौराहे को उनके नाम से नामकरण कर दिया जाये।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

टेबुल प्रस्ताव संख्या-758

जोनल अधिकारी जोन-4 द्वारा प्रस्तुत एवं नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :-

वार्ड सं० 5 चुन्नीगंज 96ध सुदर्शन नगर स्थित सामुदायिक केन्द्र (डूडा) जिसमें विवाह व अन्य कार्यक्रमों के आयोजन हेतु जनहित में जन सामान्य को प्रथम खण्ड स्थित एक हॉल व दो कमरा किराये पर आवंटन की कार्यवाही हेतु मा० नगर आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक-12.01.2015 के क्रम में आवंटन की कार्यवाही की जानी है। किराया सम्बन्धी शर्तें निम्नवत् हैं :-

- 1- किराया रू० 4301.00 प्रतिदिन व सफाई, बिजली तथा सर्विस टैक्स 12.36 प्रतिशत अलग से देय होगा।
- 2- किसी भी प्रकार का धूम्रपान व मदिरा का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
- 3- उपरोक्त सामुदायिक केन्द्र की बुकिंग व आवंटन का धन जमा करने की व्यवस्था अन्य सम्पत्तियों की भाँति सम्पत्ति विभाग, नगर निगम द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

उपरोक्त सामुदायिक केन्द्र (डूडा) के प्रथम खण्ड का किराया निर्धारण मा० कार्यकारिणी/सदन द्वारा स्वीकृत किया जाना है।

स्वीकृति की प्रत्याशा में मा० महापौर जी के अनुमोदनार्थ प्रेषित।

..... सामुदायिक केन्द्र के प्रथम खण्ड का किराया रू0 3000 /— प्रतिदिन करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई तथा निर्णय लिया गया कि सामुदायिक केन्द्र के भूतल पर स्कूल संचालित होता है इसके दृष्टिगत सिर्फ सामुदायिक केन्द्र के प्रथम तल का आवंटन किया जायेगा।

टेबुल प्रस्ताव संख्या-759

श्री आदर्श दीक्षित, पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं अन्य पार्षदों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :-

विशय :- एफ ब्लॉक (वार्ड-69 जोन-5) स्थित पार्क में बारातशाला के सन्दर्भ में।

महोदय,

मेरे वार्ड में एक भी बारातशाला नहीं है, एफ ब्लॉक में स्थित पार्क में एक जीर्ण-शीर्ण हालत में नगर निगम का एक स्कूल बना था, जिसमें कभी भी शिक्षण कार्य नहीं हुआ। अब उसमें अवैध रूप से लोग सुअर पालन का कार्य कर रहे हैं। इस पार्क में बारातशाला का निर्माण कराने व पार्क को अतिक्रमण से बचाने की कृपा करें।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

टेबुल प्रस्ताव संख्या-760

श्री आदर्श दीक्षित, पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं अन्य पार्षदों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :-

विशय :- प्रत्येक वार्ड में पार्क पूर्ण रूप से विकसित करने के सन्दर्भ में।

महोदय,

नगर निगम का उत्तरदायित्व पूरे नगर को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ना व उनको बरकरार रखना होता है। लोगों के स्वस्थ रहने के लिये प्रत्येक वार्ड में कम से कम एक पार्क टहलने (Morning Walk) के लिये होना ही चाहिये। जिसका पैसा भी हम उनसे प्लॉट एलॉट होने के समय लेते हैं। बहुत सारे वार्ड हैं जहाँ पर अनेको पार्क है, परन्तु विभिन्न वार्डों में एक भी पार्क नहीं है। जैसे की मेरा वार्ड 69 गुजैनी। अस्तु आपसे विनम्र निवेदन है कि कम से कम एक वार्ड में एक विकसित पार्क बनवाने की कृपा करें। विकसित पार्क में पार्क की बाउन्ड्रीवाल, पाथवे, पेड़-पौधे, कम से कम चार बेन्च व दो झूले होने चाहिये।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

टेबुल प्रस्ताव संख्या-761

श्री आदर्श दीक्षित, पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं अन्य पार्षदों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :-

विशय :- प्रत्येक बाजार में एक सामुदायिक शौचालय बनवाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जो स्वच्छता अभियान चल रहा है, उसको साकार करने के लिये प्रत्येक वार्ड में जो बड़े बाजार हैं उनको चिन्हित कर (अगर अभी नहीं है) उसमें एक, एक शौचालय बनवाने की कृपा करें। मेरे वार्ड-69 गुजैनी के पास इसी प्रकार अन्य वार्डों को चिन्हित कर शौचालय बनवाने की कृपा करें।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

टेबुल प्रस्ताव संख्या-762

श्री राज किशोर यादव, पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं अन्य पार्षदों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :-

निवेदन है कि श्री हसन अशरफ, केयर टेकर जो दिनांक 31.03.2014 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनको कार्यकारिणी/सदन से प्रस्ताव पास कर दिनांक 01.04.2014 से एक वर्ष के लिये कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई थी। श्री हसन अशरफ की उत्कृष्ट सेवाओं को देखते हुये माननीय कार्यकारिणी समिति से अनुरोध है कि इनको दिनांक-01.04.2015 से पूर्व की भाँति एक वर्ष के लिये कार्य करने की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

टेबुल प्रस्ताव संख्या-763

श्री राकेश साहू, पार्षद, सदस्य कार्यकारिणी द्वारा प्रस्तुत एवं अन्य पार्षदों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :-

विषय :- कुत्ते व बन्दरों के आतंक से लोगों को बचाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि कानपुर नगर में किसी संस्था द्वारा कोर्ट से स्टे होने के कारण नगर निगम द्वारा कुत्तों व बन्दरों को पकड़ने का कार्य नहीं हो रहा, जिससे कुत्तों व बन्दरों की संख्या बढ़ती जा रही है। कुत्ते सड़कों पर बच्चों व लोगों को दौड़ाते व काटते हैं व कूड़े के ढेरों को फैलाते व सड़कों व गलियों में गन्दगी करते रहते हैं। बन्दर लोगों को छत पर झुंड बनाकर दौड़ाते व काटते हैं, बन्दरों के आतंक के कारण कई लोगों की छत से गिरकर मृत्यु भी हो चुकी है, लोग बन्दरों के डर से अपनी छतों पर नहीं जा पाते हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि कुत्ते व बन्दरों के आतंक से लोगों को निजात दिलाने के लिये कोर्ट से स्टे हटाने व कुत्तों एवं बन्दरों को पकड़ने के आदेश देने की कृपा करें, जिससे लोगों को कुत्तों व बन्दरों के आतंक से मुक्ति दिलाई जा सके।

नगर आयुक्त ने सदस्यों को अवगत कराया कि कुत्तों पकड़ने एवं उनकी संख्या कम करने हेतु उनकी नसबन्दी करने एवं चालान किये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

..... नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

टेबुल प्रस्ताव संख्या-764

श्री हाजी सुहेल अहमद, नेता पार्षद दल, समाजवादी पार्टी, कानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना:-

विशय :- समाजवादी पार्टी के पार्षदों के निरन्तर प्रयास पर सेन्ट्रल यू0पी0 गैस लि0 के द्वारा (सी0एन0जी0) नगर निगम उ0प्र0 में देश पर मिटने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से अमर जवान चौराहे पर अमर जवान ज्योति की स्थापना करने व सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु अनुमति आज तक न दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि समाजवादी पार्टी के पार्षदों के निरन्तर प्रयास व अनुरोध पर सी0यू0जी0एल0 द्वारा कानपुर नगर में उ0प्र0 में पहली स्थल देश के लिये अपने प्राणों की आहूति देने वाले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दिये जाने के उद्देश्य से अमर जवान चौराहा अशोक नगर में निरन्तर प्रज्ज्वलन रहने वाली अमर जवान की ज्योति की स्थापना करने तथा उक्त चौराहे के सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान कर दी थी। जिसके लिये सी0यू0जी0एल0 कं0 द्वारा 10.06.2014 को आपको एक पत्र देकर इस सम्बन्ध में अनुमति मांगी गयी थी किन्तु उक्त पत्र के 1 माह बाद भी सी0यू0जी0एल0 कं0 के एक पत्र पर्यावरण अभियन्ता श्री पंकज भूषण का प्राप्त हुआ जिसमें किस प्रकार से उक्त चौराहे का सुन्दरीकरण किया जायेगा इसके लिये अवगत कराने को लिखा गया है। जिसके

उत्तर में कं० द्वारा सी०यू०जी०एल० कं० द्वारा दि० 31.07.2014 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में पत्र देकर पुनः अनुमति हेतु अनुरोध किया गया था। किन्तु नगर निगम द्वारा उक्त पत्र पर कार्यवाही न करते हुये उक्त अमर जवान चौराहे तथा नगर के अत्यन्त 16 चौराहों के सुन्दरीकरण हेतु बिल्डरों को दिये जाने की तैयारी कर ली गई थी। जो कि अनुचित है व उन अमर शहीदों के प्रति कं० नगर निगम की खुली उपेक्षा व अपमान है।

अतः सपा पार्षद आपसे अनुरोध करते हैं कि उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुये सी०यू०जी०एल० कं० के पत्र का अवलोकन करते हुये सम्बन्धित स्थान पर "अमर जवान ज्योति" को लगाये जाने व उक्त चौराहे के सौन्दर्यीकरण सी०यू०जी०एल० को दिये जाने का आदेश पारित करें। यदि आप आवश्यक समझे तो संयुक्त रूप से नगर निगम व सी०यू०जी०एल० कं० के अधिकारी मय पार्षदों के स्थलीय निरीक्षण भी कर लें, ताकि जल्द से जल्द कार्यवाही शुरू हो सके।

..... नगर निगम की शर्तों पर प्रश्नगत स्थल को नियमानुसार दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

टेबुल प्रस्ताव संख्या-765

श्री हरिश्चन्द्र सिंह, संपादक, अमर उजाला के नगर आयुक्त द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर विचार करना :-

विषय :- अतुल माहेश्वरी मार्ग पर सौन्दर्यीकरण, दिशासूचक-नाम पट्टिका आदि लगाने हेतु।

महोदय,

निवेदन है कि आपके सहयोग से दो वर्ष पूर्व मरियमपुर अस्पताल से विजय नगर तिराहे तक की सड़क का नामकरण अमर उजाला समूह के नवोन्मेषक अतुल माहेश्वरी के नाम पर किया जा चुका है। निवेदन है कि अमर उजाला समूह इस सड़क पर पड़ने वाले चैन फौवारी चौराहे, बैंक ऑफ बड़ौदा के समीप चौराहा और उनके आगे स्थित चौराहे का सौन्दर्यीकरण करना चाहता है। मरियमपुर चौराहे पर कैंटीलीवर लगाने, रोड स्थित बिजली के खंभो पर अमर उजाला की नामवाली पट्टिका लगाने की भी अनुमति दी जाय। रोड पर ट्री गार्ड लगाये जायेंगे, जिन पर भी पट्टिका लगाई जाएंगी। इन सबका गैरव्यवसायिक इस्तेमाल होगा। इस पर नगर निगम के उद्देश्य का भी प्रचार-प्रसार किया जाएगा। कृपया हमारे इस प्रस्ताव को कार्यकारिणी के सम्मुख प्रस्तुत करके अनुमति दिलवाने की कृपा करें, अमर उजाला सदैव आपका आभारी रहेगा।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

टेबुल प्रस्ताव संख्या-766

अधिशायी अभियन्ता जोन-4, नगर निगम, कानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :-

अभियन्त्रण खण्ड-4 के अन्तर्गत चौराहों के सौन्दर्यीकरण कार्य की प्रगति आख्या

क्र.सं.	चौराहे का नाम	फर्म का नाम	भौतिक प्रगति	प्रतिनिधि का दूरभाष सं०
1	आर्य नगर चौराहे	विनायक श्री रियल स्टेट प्रा०लि०	प्रगति पर	
2	लाल इमली चौराहे	एम.जी. कान्सट्रक्शन प्रा०लि०	प्रगति पर	09336818362
3	स्वरूप नगर चौराहे	रतन हाउसिंग डेवलेपमेन्ट लि०	प्रगति पर	09336981010
4	रेव श्री क्रासिंग चौराहे	मार्निंग ग्लोरी इन्फ्रा०लि०	प्रगति पर	09919804675
5	मर्चेण्ट चेम्बर चौराहे	मार्निंग ग्लोरी इन्फ्रा०लि०	प्रगति पर	09919804675
6	छ: बंगलिया चौराहे	चाण्डक बिल्डर्स एण्ड डेवलेपर्स प्रा०लि०	प्रगति पर	09935577338

7	विवेक टाकीज चौराहे	चाण्डक बिल्डर्स एण्ड डेवलेपर्स प्रा0लि0	प्रगति पर	09935577338
8	रानीघाट चौराहा	डाल्फिन डेवेलपर	प्रगति पर	09839032600
9	सरसैयाघाट चौराहा	रतन हाउसिंग डेवलेपमेन्ट लि0	प्रगति पर	09336981010
10	मेघदूत चौराहा	विनायक श्री रियल स्टेट प्रा0लि0	प्रगति पर	
11	परेड चौराहा	डाल्फिन डेवेलपर	अनारम्भ	09839032600
12	फजलगंज चौराहा	डाल्फिन डेवेलपर	---	09839032600
13	चैन फैंक्ट्री चौराहा	फाइव रोजेज		

..... उपरोक्त चौराहों का विभिन्न बिल्डरों द्वारा कराये जा रहे सौर्न्यकरण का कार्य करने की स्वीकृति इस निर्देश के साथ प्रदान की गई कि सम्बन्धित बिल्डरों द्वारा चौराहे पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन व बोर्ड नहीं लगाया जायेगा, चौराहे पर मात्र सम्बन्धित बिल्डर के नाम की पट्टिका ही लगाई जा सकती है।

सभापति द्वारा सभी सदस्यों की सहमति पर निर्णय दिया गया कि प्रत्येक वार्ड में एक-एक बारातशाला का निर्माण कराया जाये, पार्को को पूर्णरूप से विकसित किया जाये, बाजारों में आवश्यकतानुसार सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जाये, शेष प्रस्ताव अगली सम्भावित कार्यकारिणी समिति में प्रस्तुत किये जाये। नगर निगम निर्वाचित सदन वर्ष 2012-17 के सदस्यों की भावनाओं के दृष्टिगत कानपुर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में नगर निगम की रिक्त पड़ी भूमि को निरीक्षण करने के पश्चात् उन पर आवासीय/व्यवसायिक भूखण्ड स्थापित करने हेतु पूर्व में कार्यकारिणी एवं सदन द्वारा निर्णय पारित किये जा चुके हैं, उन्हीं निर्णयों के आलोक में पुनः नगर आयुक्त का ध्यानाकर्षित कराना चाहता हूँ कि तदनुसार शीघ्र कार्यवाही कराई जाये। श्रीरत्न शुक्ल इण्टर कालेज, जूही के पास नगर निगम की जो रिक्त भूमि पड़ी है, उस पर आवासीय/व्यवसायिक भूखण्ड निर्माण हेतु उ0प्र0 शासन से अनुमति प्राप्त कर तदनुसृत कार्यवाही की जाये। इसके पश्चात् कहा कि जैसा कि मैंने आश्वस्त किया था कि उप सभापति का मनोनयन अन्त में किया जायेगा, इस पर सभी सदस्य अपना विचार प्रस्तुत करें।

श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला ने पार्षद श्री हाजी सुहैल अहमद का नाम उप सभापति के मनोनयन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिस पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति व्यक्त की।

..... श्री हाजी सुहैल अहमद को सर्वसम्मति से उप सभापति मनोनीत किया गया।

अन्त में सभापति ने कार्यकारिणी सदस्यों को धन्यवाद देते हुये नगर आयुक्त से कहा कि अगली कार्यकारिणी समिति की आहूत बैठक में पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जाये।

सभापति ने सभी सदस्यों से आज दिनांक 12.01.2015 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि हेतु अपना अभिमत व्यक्त करने हेतु कहा।

..... सर्वसम्मति से आज दिनांक 12.01.2015 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई।

ह0.....

(जगतवीर सिंह द्रोण)

महापौर/सभापति